type we want, we must allow some time for the local administration also because instead of devoting their time to the collection of statistics, they have to look to the immediate requirements first. In case we receive any further information, we will certainly inform the House

SHRI K. LAKKAPPA : On a point of clarification. What about the Mysore area? When he makes his next statement, will he say something about the situation in Mysore also ?

SHRI J. MOHAMED IMAM *rose*—

MR. SPEAKER : He may make a statement tomorrow.

12.56½ hrs.

INDIAN COINAGE (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Coinage Act, 1906.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Coinage Act, 1906".

The motion was adopted.

SHRI K. C. PANT : I introduce the Bill.

12.57 hrs.

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION *RE.* OFFICIAL LANGUAGES—*contd.*

MR. SPEAKER : Upto yesterday, out of 15 hours allotted for general discussion, we have taken about 10 hours so that 5 hours remain. Some of the parties have not yet spoken. The Swatantra Party has got still 27 minutes, the Jan Sangh about 24 and the DMK 12 minutes. As regards the Unattached members, three or four have spoken. They have got 16 minutes.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : What about Congress time ?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : हमारा एक भी आदमी नहीं बोला अब तक ।

MR. SPEAKER : He has got all the time of his party.

श्री मधु लिमये : लेकिन बहस का तरीका क्या है ? कुछ दलों के दो-दो, तीन-तीन लोग वोल चुके हैं । हमारे दल का एक भी नहीं बोला है ।

MR. SPEAKER : He has not taken any time. The Communist Party (Marxist) also have not taken any time. These are the two Parties who have not spoken yet, the SSP and Communist (Marxist).

SHRI NATH PAI (Rajapur) : May I suggest that before the first round is completed, you do not call a second member from the same Party ?

MR. SPEAKER : Yes. Naturally the Congress Party also has got time. My problem is not with parties' time. Parties will get their full quota. There is absolutely no difficulty. The SSP have given two names, Shri Patel and Shri Rabi Ray; the Communist Group (Marxist) have given Shri Ramani's name.

I have already allowed 3 Independents to speak. If there are 12 names more, I do not know how I can accommodate them. At the most I can allow one more Independent.

Shri Piloo Mody was on his legs. He has already taken 25 minutes. If he wants to take extra time, he should remember that he will be cutting into the remaining time of the Swatantra Party. After lunch, we shall let him resume his speech.

If he takes all the time left for his Party, the other speakers from his Party will be cut out.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : I will take 7 minutes.

12.59 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

OFFICIAL LANGUGAES (AMENDMENT BILL AND RESOLUTION *RE.* OFFICIAL LANGUAGE—*Contd.*

SHRI PILOO MODY : I was saying yesterday that in the Soviet Union it was

---

*Published in Gazette of India Extra-ordinary, Part II, Section 2, dated 12-12-67.

necessary, at least Stalin bragged that it was necessary, to do away with ten million people to make Russian into the national language. I tried to make a similar calculation as to what would be the consequence of such enforecement in India. Fortunately in India we do not have the same political system as they do in the Soviet Union, where the right of protest is restricted to strictly after death. In India, where processions and morchas, freedom of thought and expression, are very much a way of life, linguistic transformation could only be brought about by a very heavy and severe loss in life, calculated by me at approximately 30 million people. Can any sane and rational person advocate that this should be the type of activity that we should be indulging in ?

Yesterday I also gave some facts and figures which I had taken some trouble to calculate accurately. A lot of my friends have taken objection to the figures that I have calculated. I would seriously suggest to them that, instead of interrupting me now, when I am giving these facts and figures, let them challenge them, let them prove otherwise. I would be very happy to sit with them, and it would give me the greatest pleasure if I was wrong, because if I am carrying a wrong impression, I would like to be corrected, but I do not think that figures can be altered by merely shouting a speaker down. This is after all a Parliament, and in a Parliament it is necessary that we exchange views. It is necessary that we persuade each other. Unless we can do that with a certain amount of freedom, you will find that Parliament has become a closed society of closed minds.

Let us face up to the reality, and the reality is that in India language is a problem, to be treated as a problem, to be solved as a problem because the unity of India is at stake. Keeping in mind the criterion of problem solution, the first step should be, if I may suggest, a reform in script. All the language of India should be made to conform to one script, so that it would be possible for you, Sir, to be able to read Bengali, and for me to be able to read Tamil, and for my friend Shri Vajpayee to be able to read Telugu. This will set into force in the country an integrating force. It is necessary that at some place, somewhere in this country, we create an integrating force, and I feel that the greatest integrating force in this country would be if we had a common script.

I have also taken some trouble to work out such a script. I call it the Romanagari script, because it adopts the Roman alphabet to the Devanagari phonetic system. It has the advantage of keeping in tract an alphabet which will leave a window open to the outside world and produce a script which any portable typewriter would be capable of using, in any language. Out of this, if such a reform were to be undertaken, would emerge the language of India, which you might call Bharat Bhasha, rich with all manner of expressions from Tamilnad and Punjab, Bengal and Maharashtra including some Adivasi expressions thrown in for flavour and sophistication.

I feel that if such a reform were undertaken it would take about two years to prepare the script for the kindergarten age, and from there on about 18 years for a generation to come through school, during which period the script would become universally acceptable and understood throughout the country. Allowing about 10 years for the integrating process, we will see the origin of a rich Bharat Bhasha. It will be a Hindi very much more akin to what I speak than to what my friend Mr. Vajpayee speaks. So, he may to that extent object to it, but, at the same time, if it brings the whole country together, I think that he will overlook the inconvenience it causes him.

Whatever we decide, let us carry the nation with us. Let us carry the people with us. Let us at least carry these Members of Parliament with us.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Sir, it is very difficult to carry him.

SHRI PILOO MODY : If there is anybody who can carry me at all, it must be Mr. Gupta.

Sir, I am opposed to this Bill not because it gives English another lease of life —I have no fear of that. For those who believe in education and progress, English will survive all onslaughts. I do not op-

pose this Bill because it does not go far enough towards giving sanctity to the assurances of Nehru and Shastri. I am against this amending Bill because it is not a constitutional amendment, and because it does not replace the relevant articles of the Constitution regarding language. We oppose this Bill because it deals with assurances instead of contemplating action. It rambles without persuasion. It neither appeases nor pacifies. Therefore, please, in the name of God and country, withdraw this Bill. Withdraw this Bill and call a moratorium on all discussion regarding languages, and institute action along the lines that I have suggested.

If I may be allowed to conclude by quoting the Prime Minister herself: at least what she is reported to have said in Bombay, she said:

> "Let us have a dialogue between all vital elements of our society. Let there be criticism and a clash of ideas not to destroy or to denigrate but to stimulate and energise."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Thirumala Rao. I would request Members from this side to confine their remarks to 15 minutes as far as possible.

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the resolution as well as the amending Bill that have been presented to this House with such modifications as I think will carry the largest section of the nation behind it. This is a problem that has been with us for a considerable time ever since India became free.

It is not an easy task to convert this huge continent with an ever-growing population of 50 crores to one course of action or to take to one system of language. Historically speaking, our country had lost its unity and freedom nearly from the 13th century onwards. Then there was a series of conquests. A number of civilisations had tried to impose themselves on this country and give its own colour and content to the nation as a whole. After the Hindu kingdoms disintegrated, the Muslims had come to stay in this country. Therefore, they tried to assimilate whatever this country could offer to them and also to give a new turn to the culture of this country. After the Muslims, the British came. The British had no intention of staying in this country. They were empire-builders, and exploiters of this country. Therefore, they brought their language as an instrument of oppression as well as administration.

If you see the earlier notes of Macaulay and Trevylian, they wanted to introduce English in this country to create an administrative machinery in which a minority section of the population will have a vested interest perpetually as separate from the masses. In their famous minutes giving the reasons why they started the three Central Universities at Calcutta, Madras and Bombay through the Universities Act of 1857, Mr. Macaulay had said that you must see that the English language is so firmly rooted in this country that it will divert the attention of the Indian people from their culture and the love for Indian culture is destroyed by the English language. They have partly succeeded in that. Another purpose of this Universities Act was to create the pen-pushers, the clerks, to run the administration in such a way that there will be a minority class of vested interests in this country which will not have much to do with the masses, but will have to depend for their career and prosperity and livelihood on the British Government. They have succeeded to a large extent in this, but they have not calculated the effect of world forces which the whole of the Indian sub-continent is subjected to. After the war of Indian independence, the Indian National Congress was established by Indian leaders with the assistance for foreigners and Britishers like Hume, Wedderburn and Cotton. The creation of the universites not only inculcated a desire of service and created clerks to run the administration, but it also widened our outlook and we have imbibed certain liberal principles of freedom from the literatures. That was the effect in the 19th and 20th centuries and Raja Ram Mohan Roy and several other savants imbibed the best of the west and tried to incorporate it into the best of the east. Therefore, you cannot eliminate completely the effect of the English language on the country and put the clock backwards towards what is called obscurantism.

Almost all the records of the Indian National Congress are replete with British

[Shri Thirumala Rao]

eloquence. I had the privilege of listening to the speech of Lokamanya Tilak when I was hardly 15 or 16, when he was released from prison, in the Lucknow Congress. We have had the pleasure of listening to the famous oratory of Surendranath Banerjee, Annie Beasant and all those people who were the fore-runners of the feedom movement in this country, though they were moderates. From their moderate movement, Gokhale and Tilak differed widely and then a new movement under Mahatma Gandhi sprang up. It was said that when Tilak was about to give up this body, Mahatma Gandhi went and saw him in Sardar hotel in Bombay and embraced him and the spirit of freedom which Tilak had inculcated in this country was conveyed through the spirit of Tilak to Mahatma Gandhi. That was the feeling we had when we heard that Mahatma Gandhi had inherited the freedom movement from the fore-runners of this great country. All the literature that inspired us in our younger days was in English. The famous book of *History of Indian Independence* by Savarkar—that was a proscribed book which we used to keep under our pillows and read—was the greatest inspirer of the younger generation for freedom in this country. Therefore, there is no use running down the English language. But I want to say that you must have a proper sense of propoition in allotting the place for English language in the present generation and in the present set-up. Gandhiji's *Young India* was the most beautiful example of terse, correct and noble English. Shri Srinivasa Shastri, who styled himself as a great English teacher, who was enamoured of the British and who hitched his wagon to the star of the British, tried to correct the English of Mahatma Gandhi, but he could not imbibe the true nationalist spirit—I mean the extremist or the non-cooperation spirit of Mahatma Gandhi. But still we owe, to some extent, our university education, our public careers and all that to our inspiration and knowledge of certain things.

But after Gandhiji came into the field and non-cooperation movement was spread all over the country, the Indian languages have come into their own. People who took pride in speaking in English to many Indian audiences were not allowed to make use of English to talk to the Indian masses. I may tell you, if you permit me or if I can persuade myself to make my speech in Telugu, I will be more at home to convey my ideas most effectively and in the flowery language which I can command than I am able to do in English. That is how we are able to contact the masses on a large scale. When we were hardly 22 or 23 years old we were able to handle audiences of 20,000 and 25,000 because we were able to convey our thoughts and our emotions in our own mother-tongue. Therefore, there is nothing like mother-tongue. The freedom movement was so much conducted with our Indian languages that the whole movement, sacrifice and suffering, the movement of idealism and practical politics have all been built up on our regional languages like Telugu, Tamil, Hindi and Malayalam.

After attaining freedom the Constituent Assembly was formed on the basis of the widest franchise possible accepted them. It passed that Hindi should be the national language of India.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj): 'Official language', not 'national language'.

SHRI THIRUMALA RAO: Well, people are now accustomed to identify office with nation. Anyhow, I stand corrected. Whatever the meaning of the word, whatever the actual connotation of the word, whatever the dictionary or constitutional connotation of the word may be, the spirit behind the Constitution adopting Hindi was that the masses of India one day or another should have a common language of communication between one province and another. Several members of the Constituent Assembly are present in the House. I am one of those who were present there. I took my humble part in shaping the Constitution. There the resolution was adopted almost unanimously after discussion. There were several members not only of the Congress Party but people representing several parties in this country. Several intellectual leaders were present in the Constituent Assembly. They have shaped this Constitution.

श्री रामसेवक यादव : (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि हम यहां पर जो एकत्रित हैं वह संविधान के अन्तर्गत एकत्रित

होकर काम करते हैं। यह सभा, सदन सब उसी संविधान के अन्दर चलती है और जब केन्द्र की सरकार संविधान के अन्तर्गत गठित किसी राज्य की सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेती है तो वह व्यवस्था टूट जाती है, संविधान भंग हो जाता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के दो मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह और राम स्वरूप वर्मा को अभी धारा 144 भंग करने के नाम पर इस केन्द्र की सरकार ने गिरफ्तार किया है। इसलिए जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है इस समय उस पर यहां विचार होना चाहिए और उसके बाद ही अन्य सारा काम-काज चलना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has made the announcement. It is all right. But, it has nothing to do with the order of this House.

श्री मधु लिमये : इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं···

MR. DEPUTY-SPEAKER : Will he point out how we are concerned?

श्री मधु लिमये : किसी एक सरकार के मंत्रियों को जिन्होंनें कोई हिंसा नहीं की, अत्याचार नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को मारा नहीं, क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या कल को केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में या बिहार में गिरफ्तार किया जा सकता है?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The point is this. They have come to Delhi with the intention of breaking the law, So, the law will take its own course, What can I do?

श्री मधु लिमये : हर एक को मौलिक अधिकार प्राप्त है, शहरी आजादी है··

MR. DEPUTY-SPEAKER : To break the law?

श्री मधु लिमये : पूरी स्वतंत्रता है जलूस निकालने की, भाषण करने की, सब कुछ करने की लेकिन शान्तिपूर्ण ढंग से।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is true. But, is it a fundamental right to break the law? If the hon. Members says that to break the law is one of the fundamental rights, then I will accept his contention.

श्री रवि राय (पुरी) : धारा 144 को लागू करना संविधान के खिलाफ है।

श्री रामसेवक यादव : मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। जो दो मंत्रियों ने अपने हिसाब से जैसे किया, कानून तोड़ा या कैसे भी, उनको गिरफ्तार किया गया तो क्या यह समझा जाए कि श्री चरण सिंह को भी गिरफ्तार किया जाएगा और तब संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा या नहीं होगा?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am very sorry that two Ministers of the State had to be arrested. But, beyond that, I have no remedy. So, let us continue with the debate .

श्री मधु लिमये : उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। इसमें कानून तोड़ने की क्या बात है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक वैधानिक प्रश्न पैदा हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप इसको सुनें। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि विवाद को यहां उठाया जाए। लेकिन मामला उठ गया है तो इस सदन को विचार करना ही होगा।

मेरे सामने दो उदाहरण हैं। इनको मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार विन्ध्य प्रदेश के एक मंत्री को नई दिल्ली में जब गिरफ्तार करने की बात हुई, केन्द्रीय सरकार के आदेश के अन्तर्गत तो पहले उनको मंत्रिमंडल से बरखास्त कराया गया और बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। मुझे उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण मालूम है। एक मंत्री ने किसी पुलिस वाले को चांटा मार दिया था···

श्री मधु लिमये : इन्होंने चांटा वगैरह नहीं मारा!

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया। अब राज्य का कोई मंत्री अगर कानून तोड़े तो फिर कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन इसमें से एक पेचीदा सवाल पैदा होता है। अलग-अलग प्रान्त में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और किस मंत्री ने कब कानून तोड़ा उसके नाम पर अगर मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो और दलों के मंत्री भी संकट में पड़ सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस सवाल के इस पहलू का विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय अध्ययन करे और अगर आवश्यक समझे तो सदन के सामने एक वक्तव्य दे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह सवाल ऐसा नहीं है कि दो मंत्री सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। मेहरबानी करके अगर आप सुबह से नई दिल्ली में जाते होते तो आपको मालूम हो जाता कि किस तरह से नई दिल्ली मालूम पड़ रही है और किस तरह से पुलिस वालों ने इसको सजा रखा है। किसी जगह पर आर्म्ड पुलिस है, किसी जगह पर आर्म्ड कांस्टैबुलरी है, किसी जगह पर फायर स्टेशन वाले खड़े हुए हैं।

I come from Uttar Pradesh. Two Cabinet Ministers of Uttar Pradesh, the Labour Minister and the Finance Minister, who came here have presented a memorandum to the Rashtrapathi. They have presented a memorandum to the Speaker. They have presented a memorandum to the Chairman of the Rajya Sabha. They want something to be done. They wanted to present the thinking of the UP Government headed by Shri Charan Singh in the matter. That is all what they have done. When these two Ministers were coming here, they were surrounded by people and they were arrested by the police. I only want that this matter should be discussed here and the Prime Minister should make a statement on it.

श्री मधु लिमये : एक प्रश्न का जवाब दे दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have heard...... *(Interruption)*

श्री मधु लिमये : मैं बोला नहीं हूं। मैंने तो यों ही टोका था बीच में।

SHRI THIRUMALA RAO : Sir, I am on my legs and I should request you to consider whether in the midst of my speech they can interrupt and raise anything they like. Let them raise their point after I finish my speech. It does not arise in connection with my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I entirely endorse your view. There is no point of order. They want to highlight certain happenings outside...... *(Interruption)*

श्री जार्ज फरनेंन्डीज (बम्बई—दक्षिण) : इस मसले पर बहस होनी चाहिये। उनकी तकरीर हो लेने दीजिये। उसके बाद बहस चलायें।

श्री रामसेवक यादव : यह आप हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : In the name of a point of order they want to highlight certain incidents outside. As Shri Vajpayee has just now pointed out—I was surprised that he should take up this attitude ... ..*(Interruption)*. They came with the intention of breaking the law......*(Interruption)*. They should have communicated directly with the Central Government Was it not proper to communicate with the Government here? That channel was open. But they want to break the law.

SHRI S. M. BANERJEE : Why should you presume that?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is something that I cannot understand. Shri Vajpayee is the leader of a party.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो अदालत तय करेगी कि उन्होंने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Can anybody interrupt like this? Let him finish ......*(Interruption)*

SHRI THIRUMALA RAO : Sir, I do not want to take much time of the House because many Members from my party want to speak.

The Government that came to power as a result of our achieving our freedom was charged with the responsibility of implementing what the Constituent Assembly had passed. They tried their best and we must take into consideration the factual situation in the country. It was so difficult to implement the Resolution about making Hindi the universal language in this country.

SHRI RAJARAM (Salem) : Universal? You send it to the moon!

SHRI THIRUMALA RAO : I am not a pandit in English.

SHRI RAJARAM : You are neither a pandit in Telugu.

SHRI THIRUMALA RAO : I bow to Shri Rajaram's claim that he is a pandit and I shall stand corrected. If there is anything wrong, you point it out to me in the end. I will learn afterwards. I may commit some mistakes. So, leave that alone. I use it in the broad sense that it is a language which is to be used by the vast majority of the people and for administration.

You see the set-up in the States. There were so many languages. You see the population position. I have been calculating as Shri Hanumanathaiya calculated yesterday. If you see the numbers, actually the majority of the people speak a language which is not Hindi but still the largest minority, one chunk of population, speaks Hindi. Therefore the other languages are in the minority groups.

Telugu, Kanarese, Marathi, Malayalam and Tamil—these five languages are called *panchadravida*. They have got dignity. They have got a genius of their own. They have got a history behind them. Swati Tirunal of Malabar has composed Telugu songs and *kirtans* after the fashion of Thyagaraja. There are several Tamil savants who have composed in Telugu. There is the *Amuktamalyada* of Krishna Deo Raya. He was a Kanarese king but Telugu also claims him as its great leader.

Therefore, before the British came there was so much commonness, oneness and common habits of language among the South Indian States and there was linguistic integrity. Today they feel a litle difficulty in accepting Hindi suddenly and that everything should be done in Hindi as soon as possible. It is not possible because we have developed our languages for communication, for journalism and for intercommunication between one State and another and it is very difficult to ignore them and replace those languages with Hindi in a period of 15 years. You must realise the difficulty.

Now, with your three-language formula, you want all the universities to start teaching university courses in their local vernacular languages. Tamilnad is anxious for it; the Malayalam is there; the Tamil is there and so on. They want to teach all these languages to our boys and produce graduates in local languages. What about English? English has been there all over for scientific studies, for research studies, and in fact, all our fame has rested on the knowledge of English hitherto either by Jagdish Chandra Bose or by Rabindranath Tagore or by C. V. Raman or by Narlikar only recently. Therefore, it is a very difficult matter. You have to understand the difficulty which the whole nation has to face in completely adopting itself to Hindi for administrative purposes.

The present English-educated people have got a vested interest, the I.A.S., the I.C.S. and other cadres of services, who have been recruited on the basis of English language, and they are the instruments of the implementation of our schemes. Therefore, there is a natural difficulty and a hitch which results in delays. That we have to take care of. So, what I suggest is that the realities of the situation have to be faced by my friends, the Hindi enthusiasts, also. Ask a Hindi-knowing officer to evolve a note, what he wants to put it, in Hindi. Can he put it correctly what he has been noting in English today? This is a disadvantage, even for the Hindi-knowing officers. But there is a type of people who want to be neither here nor there and who want to easily get into the services. Here is the Agra University. There are PhDs. galore in Hindi; there are M.As galore in Hindi. But in our part of the country, there are more failures in the vernacular languages among the University students than in other subjects. Telugu boys fail in Telugu; Tamil boy fail in Tamil....

श्री मधु लिमये : लेकिन अंग्रेजी से बहुत कम ।

SHRI THIRUMALA RAO : .... though it is their mother tongue. This is the state of our education. We are proficient neither in English nor in Hindi nor in the vernacular languages. You must come to a stage where proficiency is achieved in one language. Therefore, what I suggest is—these are the amendments suggested—that for sometime you must allow, for higher services, both English and Hindi as a compulsory language for appearing in the examinations. Where correspondence is between a Hindi-knowing State and a non-Hindi-knowing State, the translation of the Hindi documents should be followed from the originating place.

As you will agree, the language is a most delicate emotional instrument in the make-up of a nation. You cannot go on saying, simply because you have got the strength of numbers behind you, "I can impose it on anybody or I will ride roughshod over others." But I know most of the people, even the D.M.K. people, do not want English permanently. They do not want to give up Tamil. They are introducing Tamil at the higher stage of education. They have to depend on a language which is to be adopted by the vast majority of the people, if not today, at least tomorrow. Therefore, I hope the House will accept the amendments that are being proposed and see that the controversy over this issue is quietened down once and for all.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under what rule is he raising the point of order ?

श्री मधु लिमये : नियम 340 के अन्तर्गत। मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। कल हो सकता है कि कोई ट्रैफिक का कानून तोड़ने के कारण श्री चव्हाण या श्रीमती इन्दिरा गांधी गिरफ्तार हो जायें। इस लिए इसके बारे में कोई इन्तजाम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस वक्त इस बारे में एक घंटे की बहस की जायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will see whether he is in order or not.

श्री मधु लिमये : नियम 109 या 340।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Rule 340 is not applicable. The hon. Member has studied the procedure very well. He is one of the well-studied members of this House and if he takes a flimsy ground, it is not fair.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का अनुच्छेद 194(2) इस प्रकार है :

"(2) No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such a Legislature of any report, paper, votes or proceedings.

"(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees ...."

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. Is it applicable here ? Will he point that out to me ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : बिल्कुल लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है अंग्रेजी हटाना। उस नीति को यहां पेश करने के लिए ये लोग आए थे। वे स्पीकर साहब, राष्ट्रपति और राज्य सभा के अध्यक्ष से मिले। उन्होंने एक निवेदन दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की नीति को पेश किया। जब अपनी सरकार की नीति को ले कर वे यहां आए और इस संविधान को तोड़ कर जब केन्द्रीय शासन उनको गिरफ्तार करता है, तो यह एक बहुत अहम और सांविधानिक सवाल बन जाता है, जिसके बारे में हम आपसे जवाब चाहते हैं।

SHRI MANOHARAN (Madras North): Systematic efforts are being made to obstruct the proceedings of the House. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: How is article 194 applicable here? Any one who has an elementary knowledge of the Constitution will point out that it does not apply here.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): On a point of order. You are here to uphold the Constitution and the rule of law. *Ipso facto*, his point of order is out of order. But even then, you are allowing this discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As Mr. Manoharan said—he is right—obstructions are placed in the name of points of order....

SHRI MANOHARAN: Then why should you waste the time by allowing it?

MR. DEPUTY-SPEAKER: But one thing. I would like to make very clear. This body is supposed to be the custodian of the Constitution....(*Interruption*). He is perfectly within his rights to question. But I would only appeal to the hon. members not to raise any point of order on flimcy grounds.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हम चाहेंगे कि सरकार की ओर से कम-से-कम एक बयान तो दिया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not admissible. Mr. J. H. Patel.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : ठीक है। जब ये मंत्री लोग उत्तर प्रदेश में जायेंगे, तो हम इनको वहां पर गिरफ्तार करायेंगे।

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : यह कितनी अजीब बात है कि माननीय सदस्य यहां तो इन गिरफ्तारियों का विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कराने की धमकी देते हैं।

श्री रबि राय : वहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार किया जायेगा।

SHRI J. H. PATEL (Shimoga) *Started speaking in* Kannada.

SHRI S. M. BANERJEE: Before he starts, I would like to submit....

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is interrupting the proceedings.

SHRI S. M. BANERJEE: On a point of procedure.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am here to safeguard his interests. He may please resume his seat.

SHRI S. M. BANERJEE: Let him speak whatever he likes. Whenever he spoke in Kannada in the past, the Prime Minister and the Speaker both assured us that there will be some arrangement for simultaneous translation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banerjee, that is not the point just now. Mr. J. H. Patel.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): On a point of order, Sir. Either he must speak in English or in Hindi. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is free to speak in any language he wants to. The hon. Member may speak in whatever language he likes.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Sir, arrangements should be made for translation of their speeches also. They have also been elected by several lakhs of people and we should know what they are speaking. (*Interruptions*)

MA. DEPUTY-SPEAKER: This is a matter which you can take up with the Minister of Parliamentary Affairs. When this matter was raised . . .

SHRI S. M. BANERJEE: Why did not you give that reply to me?

MR. DEPUTY-SPEAKER: .... it was suggested by Mr. Limaye himself that even if no translation has been supplied in advance, a Member should be allowed to speak in his language. And I very well remember that I have given that ruling, on that occasion.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore): We have been telling that we will make arrangements. Let him seek our help. We will provide as many translations as possible in all the languages.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICA-

TIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): The hon. Speaker invited the leaders of all political parties regarding this matter and of all the political parties agreed in regard to the suggestion that was made by the Hon'ble Speaker and, therefore, the onus of not taking any action lies on the leaders including the leader of DMK Party to which Mr. Krishnamoorthi belongs.

श्री मधु लिमये : न, न। बिल्कुल गलत है। स्पीकर साहब ने हमको वचन दिया है कि जल्द-से-जल्द उस पर कार्यवाही की जायगी।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Krishnamoorthi, please sit down. Let him continue.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: Sir, the dignity of the House is much more than the hon. Minister's. When a debate is going on like that and when other Members are not able to follow, let the Minister take the responsibility, we will provide translations in all the languages. Why should a member's speech go unheard?

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South): Sir, you please allow Mr. Fernandes to go into the glass room. He will do the translation for the benefit of all of us.

SHRI J. H. PATEL (Shimoga) *spoke* in Kannada.

श्री शशिभूषण वाजपेयी (खारगोन): अध्यक्ष महोदय, जार्ज फ़रनेन्डीज ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वह ट्रांसलेशन कर दें। हम भी फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अनुवाद कर सकता हूं अगर आप कहें। लेकिन सरकार के समय में से। यह समय कटना चाहिए, हमारे में से नहीं। हमारा समय नहीं लगना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not possible.

SHRI J. H. PATEL *spoke* in Kannada.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : श्रीमन्, आपके द्वारा मैं डा० राम सुभग सिंह से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के लिये चार घंटे बढ़ाये जांय। इस पर हमारा जीवन है, हम भाषा के सवाल पर जेलखाने में रहे हैं, भाषा के सवाल पर हमने इलैक्शन जीता है। चाहे इस हाउस का समय एक दिन और बढ़ाना पड़े, लेकिन इसके लिये चार घंटे समय आवश्य बढ़ाया जाय।

श्री मधु लिमये : ये ठीक कह रहे हैं, समय अवश्य बढ़ना चाहिये।

SHRI D. C. SHARMA: I support him.

श्री कंवर लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, श्री यशपाल सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, हर एक पार्टी के लोग जो बोलना चाहते हैं, उन्हें समय अवश्य मिलना चाहिये। यह ऐसी चीज़ है जिसका सम्बन्ध हर एक के जीवन से है। मैं अपने मित्र डा० राम सुभग सिंह से प्रार्थना करूंगा कि कम-से-कम पांच घंटे अवश्य बढ़ाने चाहियें, ताकि जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, उनको पूरा मौका मिले और वे अपने विचार सदन के सामने रख सकें। हर एक पार्टी में ऐसे लोग हैं, जो इस पर कुछ-न-कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनको समय नहीं मिला है।

श्री शिवनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, सारे अखबारों में छपा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर 30 घंटे मांगे थे, लेकिन मैंने 36 घंटे मांगे थे, लेकिन एडवाइजरी कमेटी ने हमारी प्रार्थना पर डिसीज़न नहीं किया। इस लिये मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं और चहता हूं कि बिल का समय 36 घंटे कर दिया जाय। यह सरकार के जीवन-मरण का प्रश्न है।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): I submit that till the end of the session this should be discussed, till we disperse, and we should not do any other work, only this.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Let the Government withdraw the Bill, we will not require any time, otherwise there will be no end to this discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It appears from all quarters of the House, everybody wants extension of time. Many members have suggested extension of time. I would like to know the views of the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli) : We have sufficiently discussed this Bill. Don't waste time. There are more important problems like the food problem and unemployment problem.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो इण्डीपेन्डेन्ट मेम्बर्ज हैं और जिनकी संख्या 60 के लगभग है, हम यह महसूस करते हैं कि इसमें बहुत थोड़ा समय एलाट हुआ है तथा जो पार्टियों हैं उनको अधिक समय मिलने के कारण, हम लोगों को अवसर नहीं मिल पाया है। मैं इण्डीपेन्डेन्ट मेम्बर्ज की तरफ़ से निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे सब लोग इस पर सहमत हैं कि इस बिल का समय बढ़ाया जाय और हर मेम्बर जो इस पर बोलना चाहता है, उसको अवसर दिया जाय। एक प्रकार से यह भारत के भाग्य का ऐतिहासिक निर्णय हो रहा है . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are endorsing the suggestions made by others. Please resume your seat.

SHRI S. XAVIER : The sooner the discussion is closed, the better for the House and the country.

15.00 hrs.

डा० राम सुभग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन के विभिन्न दलों के सदस्यों की आवाज इस संशोधन विधेयक पर और समय बढ़ाने के लिए सुनी है। लगभग सभी लोगों ने यह इच्छा प्रकट की है कि इस पर समय बढ़ाया जाय और ख़ास कर हमारे श्री शिव नारायण ने भी इस मांग का समर्थन किया है, इसलिए जो भी आपका इस बारे में निर्णय होगा, वह हमें मान्य होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : With the concurrence of the House, let us, as you suggested, have about four hours more.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Five hours.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur) : Four hours.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha) : Do not bargain.

लोगों को संतोष दिला दीजिये और जैसी कि सभी ओर से मांग है पांच घंटे इस पर बढ़ा दीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : As Shri Sheo Narain is insisting on five hours, the House accepts five hours. (*Interruption*) Do not waste time in interruptions. Let Mr. Bibhuti Mishra start his speech.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीक़े से यह राजभाषा संशोधन विधेयक सदन के सामने लाया गया है और जिस रूप में लाया गया है वह हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के बच्चों के हित में नहीं है। यदि यह संशोधन विधेयक इसी रूप में क़ायम रहा तो हम जो हिन्दी क्षेत्र के संसद सदस्य हैं, उनको सरकार मजबूर करेगी कि इस विधेयक के खिलाफ़ हम लोग वोट दें। संशोधन विधेयक के मौजूदा रूप में रहते जिस तरीक़े की हालत है, उस हालत में हम हिन्दी क्षेत्र के सदस्य लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा होने से वहां के बच्चों को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में जगह नहीं मिलेगी और परिणाम यह होगा कि हिन्दी क्षेत्र के उम्मीदवार लोग केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आने से वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक में काफ़ी सुधार करे। मैं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारा डी० एम० के० के भाइयों अथवा किसी भी दक्षिण भाषा-भाषी भाई से किसी तरह का झगड़ा नहीं है। उनका हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वह चाहे हिन्दी पढ़ें, चाहे अंग्रेज़ी पढ़ें, चाहे तमिल पढ़ें या चाहे तेलुगू पढ़ें। उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आज इस संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप का जो हम विरोध कर रहे हैं उसका एक मुख्य कारण यह है कि अगर यह इसी रूप में पास किया गया तो हमारे हिन्दी क्षेत्र के बच्चों को

[श्री विभूति मिश्र]

सरकारी नौकरियों में जगहें नहीं मिलेंगी। वैसे हमको आज भी जगह नहीं है, कारण यह है कि देश की पहली स्वाधीनता की लड़ाई जो 1857 में लड़ी गयी उसमें हर कोई जानता है कि उत्तर भारत के लोगों का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके कारण अंग्रेज़ों ने हमको बाद में बुरी तरह दबाया, हम लोगों को इतना कुचला जिसका कि नतीजा यह हुआ कि हमारी शिक्षा कमजोर हो गई और उन लोगों को अंग्रेज़ों ने प्रोत्साहन देना शुरू किया जोकि कलकत्ता बन्दरगाह, बम्बई बन्दरगाह या मद्रास बन्दरगाह से आये थे। वहां के लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया अंग्रेज़ों ने उन्हें आगे बढ़ाया और उनको सरकारी नौकरियां दी गईं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि जब हम भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते थे और यह गांधी जी के स्वाधीनता संग्राम में आने के पहले की यह बात है, तब यह अरविंद बाबू ने कलकत्ते की स्पेशल आल कांग्रेस कमेटी के इजलास में कहा था कि यह तुम्हारे हाफपैंट, कोट, पतलून और यह अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान में जागृति नहीं लाने वाली है। इस देश में जागृति लाने वाली जो इस देश की अपनी भाषा है, वह महान भाषा ही हिन्दुस्तान में जागृति लायेगी। जब हिन्दुस्तान भर में हिन्दुस्तान की अपनी प्रादेशिक भाषाएं काम-काज में लाने का आन्दोलन चला, अपने देश की भाषाओं को हिन्दुस्तान भर में प्रचलित करने का आन्दोलन चला तो हिन्दुस्तान की स्वाधीनता हुई लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कि बच्चे या तो यहां अंग्रेज़ी पढ़ते हैं या विदेश में पढ़ते हैं। यह थोड़े-से लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य हिन्दुस्तान के ऊपर क़ायम रहे। जिस तरह से यह आई० सी० एस० लोग इस देश से अंग्रेजों के शासन को हटाना नहीं चाहते थे उसी तरह से आज भी यह हाई सर्विस क्लास अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अंग्रेज़ी को आज भी हिन्दुस्तान में बनाये रखना चाहता है। यह आई० सी० एस० लोग मिनिस्टर्स को इसके लिए ड्राफ्ट बना कर देते हैं और जैसे इन लोगों ने उस समय अंग्रेज़ों को देश से बाहर जाने में रुकावट पैदा की थी उसी तरह से आज वह इस देश का काम-काज उसकी मान्य राजभाषा हिन्दी में चलाने के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उधर के कुछ भाइयों ने कहा है कि इस क्लास में बहुत मेधावी लोग काम कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह हिन्दुस्तान, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय वह मेधावी लोग कहां बैठे हुए थे ? मेरा मत है कि महज़ बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ही कोई व्यक्ति सफल व योग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी, रणजीत सिंह व अकबर आदि ने किसी कालिज में उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, उन्हें ठीक से लिखना भी नहीं आता था लेकिन उनकी सरकार जिस योग्यता व सफलता के साथ चली उतनी शायद दुनिया में किसी की भी सरकार न चली होगी। वह इतिहास में योग्य व सफल शासक सिद्ध हुए हैं। सरकार चलती है, कौमनसैंस से वह महज़ किताबी ज्ञान से नहीं चलती है। यह अंग्रेज़ी वालों ने जो गद्दारी हिन्दुस्तान के साथ की है उसे हिन्दुस्तान की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली है। हिन्दुस्तान की आने वाली जनता उनकी क़ब्र खोद कर गंगाजल डालेगी।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पहले हिन्दुस्तान में संस्कृत भाषा थी। शंकराचार्य ने आकर उत्तर भारत में हर जगह तीर्थ क़ायम किये और यहां के लोगों ने वहां दक्षिण में जाकर अपने तीर्थ क़ायम किये, संस्कृत का देश में प्रचार था। और जिन्होंने हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा उनसे यह बात छिपी न होगी। लेकिन अभाग्यवश मैकाले ने आकर उस पर पानी फेर दिया और संस्कृत को एकदम से हटा दिया। मैकाले ने संस्कृत को हटा कर और अंग्रेज़ी को इस देश में लाकर संस्कृत और हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। अंग्रेजों ने इस देश में अंग्रेज़ी भाषा को

लाकर हिन्दुस्तान में कोलोनियल रूल क़ायम किया। मैकाले ने जैसा मैंने कहा देश में अंग्रेज़ी को प्रतिष्ठित किया और यहां के लोगों को मजबूर होकर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ी और धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने को मजबूर होने लगे। मैं अपनी सरकार से बतलाना चाहता हूं कि दरअसल दक्षिण के लोग हिन्दी विरोधी नहीं हैं। अगर आप यह कह दें कि कोई दक्षिण का भाई जो हिन्दी पढ़ेगा उसे और लोगों की अपेक्षा 25 रुपये ज्यादा तनख्वाह दी जायगी तो सब हिन्दी पढ़ने लगेंगे। कुछ मुट्ठी भर ऊंची नौकरशाही के लोग हिन्दी लाने के विरोधी हैं क्योंकि ऐसा होने से उनका एकाधिकार ख़त्म होता है और उस स्वार्थ के मद्देनज़र वह हिन्दी का कोई-न-कोई बहाना कर विरोध करते रहते हैं और उसके आने में तरह-तरह की बाधाएं डालने का प्रयास करते हैं और उनके इसी कुचक्र का फल है कि हिन्दी को आज तक उसका उपयुक्त स्थान नहीं मिला। हमारे नेताओं ने हमारे देश के साथ और हमारी भाषा के साथ जो गद्दारी की है उसे कोई आने वाला हिन्दुस्तान का बच्चा भूलेगा नहीं।

गांधी जी सन् 1917 में मेरे जिले में गये थे। दादा भाई नौरोज़ी की मृत्यु हो गई थी। गांधीजी ने गुजराती में भाषण नहीं किया बल्कि गांधीजी नें हिन्दुस्तानी में भाषण किया। गांधी जी ने कहा कि अगले साल मैं चम्पारन के लोगों को भोजपुरी में भाषण करते देख लूंगा। जैसा मैंने कहा हमारी सरकार हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं चलती है बल्कि हमारी सरकार दफ्तर के लोगों से चलती हैं। यह जो दफ्तरों में आई० सी० एस० बैठे हुए हैं, जो नौकर लोग बैठे हुए हैं उनसे हमारी सरकार चलती है। आज हक़ीकत यह है कि कुछ थोड़े से ऊपरी सर्विस वाले थोड़े-से उनके रिश्तेदार और थोड़े-से हिन्दुस्तान के लोग चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का राज्य अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा चलायें लेकिन मैं पूछना चहता हूं कि 20 साल की आज़ादी के बाद भी जब हमारे देश पर चीनी हमला हुआ था तो इन हमारे मित्रों ने क्या किया? पाकिस्तानी हमले के समय में उन्होंने क्या तैयारी की? चीन के माओत्से तुंग कोई विदेशी भाषा नहीं जानते हैं लेकिन सब जानते हैं कि आज संसार में उसने चीन की कितनी धाक जमा दी है कि लोग उसके नाम तक से कांपते हैं। कारण यह है कि समस्त चीन में चीनी भाषा प्रचलित है, सारा काम-काज और शासन कार्य चीनी भाषा में चलता है। वहां के शासक अपने लोगों को समझते हैं और अपनी प्राबलम्स को समझ कर उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है। इसके विपरीत हमारे यहां अंग्रेज़ी जानने वाले सात बार सोचते हैं कि वह जो अंग्रज़ी बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं कि नहीं। उनकी अंग्रेज़ी भाषा सिंगुलर, प्लूरल व जैंडर के हिसाब से ठीक है अथवा नहीं और कहीं वह ग़लत अंग्रेज़ी तो नहीं बोल रहे हैं? उनको हर दम यही चिन्ता खाये रहती है कि कहीं गलत अंग्रेज़ी तो नहीं बोल रहे हैं, जैंडर मैस्क्युलिन होना चाहिए अथवा फमनिन? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन अंग्रेज़ी जानने वालों ने हिन्दुस्तान के साथ कोई भला काम नहीं किया।

मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरा दक्षिण वाले भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है। यह झगड़ा तो हमारे उधर के बैठने वाले लोग क्रीएट करते हैं। पहले जब हिन्दी भाषी क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने हिन्दी को एजुकेशन का मीडियम नहीं बनाया था लेकिन जब हिन्दी क्षेत्र में गैर-कांग्रेसी सरकार हो गयीं तो उन्होंने हिन्दी को मीडियम बना लिया। बिहार में उदाहरण के लिए हिन्दी का मीडियम इन लोगों नें बना दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहां संसद में जब हमारे खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वह सारे एक एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन जब हिन्दी का सवाल हो जाता है तो आपस में वह लोग लड़ने लगते हैं...

श्री मधु लिमये: आप हमारे साथ हो जाइये।

श्री विभूति मिश्र : हम आप लोगों की तरह से लड़ते नहीं हैं, हम लोगों का एका हो जायेगा। आप घबरायें नहीं।

एक माननीय सदस्य : आप दब जायेंगे यह तो हम जानते ही हैं।

श्री शिवनारायण : आप बड़े तीसमारखां हैं।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारे अपने यहां पर साथी हैं श्री फ्रैंक एन्थोनी, उन्होंने अखबार में एक लेख में लिखा जो कि मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि 500 वर्ष में भी हिन्दी भाषा नहीं आ सकती है, सम्पर्क भाषा नहीं हो सकती है। इस समय वह यहां हाउस में मौजूद नहीं है वरना मैं उनसे पूछता कि साहब आपके जैसे आदमी जो यह कहते थे कि अंग्रेज यहां से जायेंगे ही नहीं, ऐसे बहुत से आदमी मिलते थे जो हम लोगों को जेल भिजवाते थे लेकिन सब ने देखा कि वह अंग्रेज इस देश से चले गये, और वह लोग यहां मिनिस्टर्स बने हुए हैं क्योंकि इस देश का राज्य हम लोगों ने समझौते से लिया। हम लोगों ने क्रान्ति करके आजादी नहीं ली। हम लोगों ने समझौता करके आजादी ली है। अंग्रेजों नें हमें लड़ाया। माउंट-बैटन साहब ने हमारे नेताओं को फंसा लिया और फंसा कर उन्होंने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में हमारे देश को बांट दिया। हम लोग कार्य करते रहे हैं, जीवन भर जेल जाते रहे हैं। हम लोगों ने कांग्रेस का काम किया है। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि किसी नेता ने हम से यह नहीं पूछा कि हम यह बिल ला रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। हमारी पार्टी से नहीं पूछा, हम से नहीं पूछा, रैंक एंड फाइल से नहीं पूछा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे जब वे सर्विस के लिए आगे आयेंगे। हम उनको क्या कहेंगे ?

आप जानते ही हैं कि पांच करोड़ की पापुलेशन बिहार की है। लेकिन आप मुझे बतायें कि केन्द्रीय मंत्रालयों में कितनी जगहें बिहार के लोगों को मिली हुई हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जायेंगी। यह झगड़ा जो हमारे विरोधी लोग खड़ा कर रहे हैं और कुछ हमारी तरफ के भी लोग खड़ा कर रहे हैं, यह और कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ रोजी रोटी का झगड़ा है। यह झगड़ा नौकरी का झगड़ा है। हम लोग उत्तर भारत के रहनें वाले हैं। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि अगर इस मसले को आपने हल नहीं किया तो उत्तर भारत में कम्युनिज्म को आने से आप रोक नहीं सकेंगे। जो यहां के बच्चे हैं, वे क्या करेंगे, यहां के बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम केन्द्रीय सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा—

SHRI NAMBIAR: I see; this is against communism. The cat is out of the bag.

श्री विभूति मिश्र : चीन हमारे पड़ोस में है। हमारे बच्चे जब उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो विवश हो कर कम्युनिस्ट होते जायेंगे और आप रोक नहीं सकेंगे।

चव्हाण साहब को इस समय बहस जब हो रही है तो यहां होना चाहिये था, लेकिन यहां नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूं कि कैबिनेट में हमारे जैसे सीनियर मैम्बर मिनिस्टर होते आज तक लेकिन हम गरीब हैं, रिसोर्सफुल नहीं हैं, इसलिए मिनिस्टर नहीं हैं—

श्री बी० चं० शर्मा : किस्मत की बात है।

श्री विभूति मिश्र : किस्मत की बात नहीं है। दो प्रतिशत लोग, मुट्ठीभर लोग हैं जो किसी न किसी तरह से, चालबाजी से, दाव पेंच से या किसी और तरह से सरकारी गद्दियों पर बैठ जाते हैं और वे जिसमें देश का भला है, उसको कर नहीं सकते हैं। मैटीरियलिज्म का जहां तक सवाल है, उसका ठीक से बंटवारा होना चाहिये। बंटवारा तभी ठीक से होगा जब आप हिन्दी क्षेत्रों के लिए सर्विस में उनकी आबादी के लिहाज से कोटा निर्धारित कर दें। अगर आपने ऐसा किया तो सारा जो झगड़ा है वह खत्म हो जाएगा। साउथ वालों को मैं बड़े अदब से कहना चहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वे मेरी भाषा पढ़े। अगर इस भाषा को पढ़ाने की बात होती तो बीस साल में हमारी

सरकार ने उनको यह भाषा पढ़ा दी होती। इन बीस सालों में अगर सरकार ने हिन्दी का प्रचार किया होता तो सब इसको पढ़ गए होते। लेकिन हमारी सरकार आराम तलबी में फंसी रही, एयरकंडिशंड कमरों में रहना ही इसने अपना कर्त्तव्य समझा मोटरों से चलना ही इसने पसन्द किया। आप देखें कि आज किसी का लड़का फर्स्ट डिविज़न में पास होता है तो किसी का थर्ड डिविज़न में। जो लड़का थर्ड डिविज़न में पास होता है उसको भी भगवान ने दो आंखें दे रखी हैं। वह भी देखता है कि मिनिस्टर कैसे चलता है, नेता कैसे चलता है। वह इस तरह की चीज़ों को बरदाश्त नहीं करेगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आज आपने इस कार्य को नहीं किया तो इस देश में दस बरस में कम्युनिज्म आकर रहेगा और आप रोक नहीं सकेंगे, आप इसको टाल नहीं सकेंगे।

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not want to import any emotional overtone in this discussion. Already this problem has been agitating different sections of the people in different ways and, I believe, if we look at the problem from emotional overtones we will not be able to find a solution to the problem. It is, of course, a very strange thing that twenty years after independence this Parliament should be discussing what should be the language of the medium of education for the people of this country, what should be the language in which the citizens of this country will get their justice from the courts, what shall be the language in which the administration of the country will be carried on. It is certainly a very strange proposition that today we are discussing. I do not think in any other country that has become free this kind of discussion took place twenty years after independence has been reached. But, anyway, we are where we are, and we have to find a solution to this problm. How are we to approach this problem? Yesterday, when Shri Dange was speaking about this problem, he had stated the mistake committed by the people, the powers that be, in the development of the Hindi language; they imported too much of Sanskrit words and it was the Raghu Vira Hindi that was mainly responsible for the present situation. I do agree that we cannot develop Hindi on the basis of importing Sanskrit words; but, that is a different matter. The causes for the present dispute are far more fundamental than the import of Sanskrit words.

Today when we are talking of the unity of this country let us recognise that this country was never united politically except during the period of the British. Before the British came to this country, we were divided into so many principalities, with ever so many kingdoms. This has been our history. There might have been cultural unity but cultural unity does not mean political unity. For the first time in its history this country was united politically, forcibly united, under the British. But that did not lead to the unity of the people.

It was actually during the struggle against the British imperialists that people speaking different tongues, living under the domination of the British imperialists, came together. The unity of the people of this country was really forged in the course of that struggle. Therefore, we have a tremendous reservoir by which we could build further unity, thus cementing the unity that has already been achieved. But what did we do during the last 20 years? Let us also recognise that when we are talking of the unity of this country, this country consists of a number of linguistic groups. In other lands, each of these groups will be a nationality. In Europe everyone of these people, speaking a distinct language and inhabiting a compact territory, they are nation-States. So, each one of the groups in our country, who speak different languages are also like that. When that is the position, let us realise that the unity of this country can only be forged on the basis of the willing co-operation of the entire people, and not on the basis of forcing anything on the people. Therefore, when we today approach this whole problem, we have to remember that here is a multi-lingual country with people who have developed their own languages.

I have every respect for people speaking different languages. I like Hindi and I have every respect for the Hindi language. Similarly, I have every respect for Malayalam, Telugu and other languages. After all, the languages are the creation of the

[Shri P. Ramamurti]

people. It is the people who are inhabiting a particular territory that create a language in the course of their social development. The English people created the English language. It is not just a few literatteurs that created the English language. Similarly, every language group in the whole world have created these languages. Therefore, in reality, when we are respecting the languages we are respecting the people who have created those languags. Let us, therefore, not think in terms of this language being developed or that language not being developed. After all, every language will develop, provided it is given the opportunity to develop. And if that opportunity is not given, it is not the fault of the language or the people who had not been given that opportunity.

Unfortuately, in our country that opportunity had been denied to all these different languages during the British regime by the British imperialists. During that period over everyone of the languages, be it Tamil, Hindi, Hindustani or Marathi, the British people imposed their restrictions. They imposed their restrictions by means of the language of the administration, by means of the medium of instruction and by means of the language in courts and thereby they prevented the normal and natural growth and development of these languages.

It was precisely during the struggle against the British imperialism; when that struggle took a mass character, after the 20s that the people, the very leaders of the national movement began to address the people in Tamil, in Hindi, in the various regional languages. The movement also took a mass character when people addressed them in their own languages. I remember that Shri Rajagopalachari, a very great Tamil speaker now, in 1920 could not address a meeting in Tamil at all. I know that. I know also that Shri Srinivasa Ayyangar could not address a meeting in Tamil in 1920. Even I myself could not address a meeting in Tamil then and it was only in 1932, for the first time that I addressed a meeting in Tamil.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ : You are not bigger than Rajaji or Srinivasa Ayyangar. Why do you say "Even I could not address"?

SHRI P. RAMAMURTI : I was just taking an example.

When I first addressed a meeting in 1933, Comrade Jivanandam, one of my colleagues, afterwards said, "I am translating what Ramamurti spoke in Tamil." That was the position in which I was in 1933.

What I want to point out is that a language develops as a result of its usage by the people for all the purposes for which people communicate with each other. After all, when did all these modern European languages develop? They developed not during the period of feudalism but after the overthrow of feudalism and after a new industrial society began to develop when commerce developed, when all these things developed, when the people inhabiting a particular territory used that language for all the purposes for which human communication was necessary in that territory, namely, for administration, for courts, for literature, for science, for economics, for history, for medium of education—for everything. That is how the English language and all other modern languages developed.

Similarly, our languages also can develop if that opportunity is given to every one of these languages. It is no good saying that none of our languages is today developed enough to be the media of instruction. After all, a man learns to swim actually by getting into the water and not by learning all the rules of swimming. If we have got to develop our languages, the first and the most elementary thing is to see that our languages become to be used for every purposes for which communication is necessary. This is the elementary thing. This is the whole question.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : That is what we are wanting to do.

SHRI P. RAMAMURTI: In 1947 when we had that opportunity, what did we do? Did we recognise that the languages spoken by the different people of this country are equals? The fundamental question is whether the framers of the Constitution themselves recognised that the various languages spoken by the people of this country are equal. Was the equality of

the people, the equality of the people speaking different languages and the equality of the languages spoken by different people recognised? I am afraid that the framers of our Constitution did not recognise that.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : No.

SHRI P. RAMAMURTI : I will tell you. I have got the Constitution. There is an entire provision regarding the official language—articles 343 to 350B. What is there? Hindi language shall be the official language after 15 years. Very good. I am not going into that question. But then what about the other languages? Were they recognised as languages equal to every language including Hindi? Absolutely not. The Constitution provided—I will just read out to you one particular provision :—

> "Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State :"

I am talking of the State. Why should the Constitution, for example provide that a State, which does not have Hindi as its language of the people, also can provide for Hindi to be the official language of that State? It is exactly here that the framers of the Constitution themselves did not realise the need for elevating the languages of the various regions to their own level and to their own status. That non-recognition, unfortunately, has been carried further.

I will read out to you another provision. The final articles in this Chapter says that it shall be the special responsibility of the the Central Government—after all, the Central Government is the common government of the entire people, the Tamilians, the Hindi-spaeking people, the Gujarati-speaking people, of every people—to develop the Hindi language. Why is it not put down there that it is the special responsibility of the Centre also to develop all the other languages that are spoken by the people of this country because then alone can the people understand that the equality of languages has been recognised in fact and in word? Unfortunately, this has not been done.

If these languages are to come to their own, the most elementary thing that is necesasry is that there should have been linguistic States right from the beginning because in a composite linguistic State how can the languages of the people become the official language of the State? Therefore, the framers of the Constitution did not think in terms of the people's languages coming into their own from the very beginning. It required a great amount of struggle in which blood was shed in order to make them accept the elementary demand that for the development of democracy and to see that the languages of the people come to their own, it has become necessary to have a tremendous amount of struggle to impose upon them the acceptance of the right of linguistic States. Unfortunately, this has happened all these years. It is because of this fact that, unfortunately, a certain feeling has arisen that, possibly, the people who do not want to develop our languages, who have not taken it to be their responsibility to develop our languages, want to impose Hindi language. Unfortunately, that feeling has arisen. There is no use of shutting our eyes to the fact. This is the reality of the situation. Therefore, I would appeal to my friends from the Hindustani-speaking areas to look into the entire policies that have been pursued all along in the matter of education, in the matter of various other things. While these things were going on, for example, why did not the Central Government, when dealing with the people speaking different languages in their areas, do a simple thing like this? Is it a very difficult thing for the Postal Department to issue money order forms in Tamilnad in Tamil, in Andhra in Telugu, in Maharashtra in Marathi, in Mysore in Kannada and so on? They will not do that. (*Interruption*) After all, the people of that area will have to understand the money orders forms. Even the British Government did issue the money order forms, along with English, in languages of the various States. But what did our Government do? The moment our Government came, all money order forms, throughout India, whether Tamilnad or Assam or Kerala or anywhere else, were only in Hindi and English. Does it not create irritation? Have you not created a feeling of irritation? I have gone along the Highways of Andhra. Take, for example,

[Shri P. Ramamurti]

the National Highways of Andhra. I have seen on the National Highways of Andhra the milestones, not in international numerals which Andhra people can understand, but in Hindustani numerals. Why is that necessary ? Is this the way to win the confidence of the people ? These are the various ways by means of which the irritation has been caused, not only irritation but a feeling that these people want to dominate over us. That, unfortunately, is a feeling created, that is there, and unless that feeling is wiped out, I do not think this problem can be easily solved.

I am not an opponent of Hindustani. I understand Hindustani; I speak in Hindustani in my public meetings in Hindustani-speaking areas and, therefore, I am not an antagonist of Hindustani.

The other day, Dr. Sushila Nayar was talking about great people and she was quoting from Shri Satya Narayan of the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and various other people. These people had spread the Hindi language. Yes. I also had my part. But nonetheles, Shri Satya Narayan does not today support the position that you are taking. I would have very much liked Dr. Sushila Nayar to quote what exactly is the opinion of Shri Satya Narayan today. The fact is that even the very people who had taken part in the spread of Hindi language in the South have bitter experience. They find that today a different approach to the whole problem has got to be there, not this kind of approach. As far as the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha people were concerned, they were doing it on a voluntary basis and they did not want to impose Hindi. When Mahatma Gandhi talked of Hindi, I dare say, he never wanted it to be imposed on other people. I am sure Mahatma Gandhi would never have been a party to this kind of a thing.

This is an attempt to, surreptitiously, force it on the people. This is the kind of a thing that has been causing the greatest amount of irrigation and anger. *(Interruption)* A simple thing like this is not being done even here. In this House, where representatives of people speaking different languages, meet here in order to discuss different problems before them, you make only Hindi and English as the official languages of this House. Yo do not allow. It requires a tremendous amount of struggle and the struggle is even now not over. Even after 20 years, this struggle is not over. A man who does not know Hindi, for example, Comrade Nana Patel, who comes from Satara, who is a hero of the Patri Sircar days of 1942, and who is a beloved leader of the entire people of Satara, has to keep mum because he cannot speak in English or Hindi. That is the position. The main question, therefore, is this : Has the Government of India recgnised these rights ? Has the Government of India, all these twenty years, realised the need to recognise the equality of people and the equality of different languages of this country ? *(Interruption)*.

SHRI THIRUMALA RAO : I am not interrupting. I am just giving him the information. There were two Members of Parliament from Andhra Pradesh who did not know English but who were permitted to make their speeches in Telugu, and they got them published here. So, that right is recognised here....

SOME HON. MEMBERS : No, no. *(Interruptions)*.

SHRI P. RAMAMURTI : It is not a question of his being able to speak in Hindi. It is not a question of anybody being able to speak in a particular language. It is the right of the Parliament to follow what he is speaking. After all, are we conducting democracy or are we conducting a farce ? If it is democracy, I must be able to follow what my fellow-members are speaking. What is this kind of thing ? That is why I say that this Government, these people, have, all these twenty years, failed to recognise the equality of languages of this country. That is the root of the whole problem.

Having said that, I would like to say this. Wonderful provisions are there in the Constitution. Mr. Dange was referring to the fact that Raghu Vira Hindi has been imposed. There is that article, article 351. What does it say ? It says :

> "It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of

India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani...."

Remember, the Constitution framers said that Hindustani was different from Hindi; they had made that distinction there.

"....and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule...."

Hindi has to assimilate the words used in Hindustani and the other languages of India, although Hindustani is not a language listed in the Eight Schedule.

"....and by drawing...."

That is what I want to emphasize.

"....and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

Therefore, the enrichment of the Hindi language should be done not primarily on the basis of the living languages of this country, not on the basis of the languages which are spoken today by the people of this country, but by drawing primarily on Sanskrit which nobody in this country understands....(*Interruptions*).

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI: I can speak and understand that language....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him argue his case. Have some patience.

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI: Thousands of people can speak in Sanskrit.

SHRI P. RAMAMURTI: Sir, Sanskrit is a very good language. I know what Sanskrit language is....

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिये। मुझे संस्कृत में बोलने की इजाजत दी जाये, मैं संस्कृत में बोल सकता हूं। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

ठीक है, मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

SHRI P. RAMAMURTI: I know what the Sanskrit language is. After all I have suffered by learning that language. The very word 'Sanskrit' means....

SHRI HANUMANTHAIYA (Bangalore): On a point of information only....

SHRI P. RAMAMURTI: No, No. I am not yielding. 'Sanskrit' means

"सम्यक कृतम्"

not a natural language, but well made, an artificially created language. (*Interruptions*).

SHRI HANUMANTHAIYA: His very name is in Sanskrit.

SHRI P. RAMAMURTI: And how artificially created I know. What a wonderful grammar it has which has made it a most difficult language and every word there, they revelled in making it more difficult. I know the beatings I have myself received from my grand-father in order to pronounce that word in Champu Ramayanam:

तत्रत्यविचित्रतरस्यतंकंभस्तंभाग्रप्रत्युप्त-
स्फटिकशिलासालभंजिकापुंज करतलकलित-
कनककलशमुखात् ।

This one word.... (*Interruptions*).

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : यह एक वर्ड नहीं है, श्रीमान् जी, यह गलत कह रहे हैं।

SHRI P. RAMAMURTI: I am not yielding.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ramamurti, whatever you might say about Sanskrit—you may argue your case—you should not hurt the sentiments of others because Sanskrit is the background of all the languages.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: Sir, let him keep quiet.

SHRI P. RAMAMURTI: Therefore, Sir, after all despite the great treasures of Sanskrit language, let us realise why this country did not advance. There was a Bhaskara in this country who discovered that the earth is round long before Gallilee discovered that the earth is round. It is

[Shri P. Ramamurti]

the Indian mathematicians who gave the world the cipher without which mathematical science could not have advanced. In spite of all these things, why was it that our country was not able to advance? We are not able to advance precisely for the reason that the language in which the sciences were taught, the language in which these things were taught, was the monopoly of a coterie of people who could learn Sanskrit, who could learn the language for 10 years before they have access to the knowledge and the common people of this country were not allowed even to learn. That has been the bane of this country. And let us not make that same bane even now when we are thinking of the future generation of our country. Let us, therefore, give up this English language as the medium of instruction in our country immediately. In this let us not depend upon the Vice-Chancellors whose advice cannot today be taken at all. They are a prejudiced people. That is one thing.

When this has been the position, what are we to do with the present situation? I am only asking my Hindi friends to realise this. When they realise this....

AN HON. MEMBER: They are adamant. They cannot realise.

ANOTHER HON. MEMBER: They are not adamant.

SHRI SHEO NARAIN: We are supporting this. (*Interruptions*).

SHRI P. RAMAMURTI: Sir, I am not yielding....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order. order. Let him conclude.

SHRI P. RAMAMURTI: Therefore, our position is that the equality of languages must be recognized always. There must be a temporary solution till the time when people can look at the problem without overtones. Unfortunately, emotional overtones are there existing today. Let us look at this problem from a longer range of view. Immediately in order to put an end to these emotional overtonnes, in the present situation which is today kept by the Bill, I would like to tell my Hindi friends that they have a special responsibility in this matter. After all they are the largest group of people speaking Hindi language and if tomorrow by a natural evolution, people will certainly, when this problem is settled, look at the problem of the central administration not in an atmosphere of these emotional upsurges but on the basis of practical necessity. Let us, therefore, create those conditions that are necesary to look at this problem from a practical point of view and not from these points of emotional overtones.

SHRI SHEO NARAIN: What is the practical thing? Let him explain that?

SHRI P. RAMAMURTI:

शिवनारायण, मैं बोल रहा हूं, जरा ठहर जाओ। तुम मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते।

The problem, therefore, is this. I would appeal to my Hindi-speaking friends to realise that it is their responsibility. When their language is about to be the language of the State, naturally, they will be open they are looking at it from a prejudiced angle. Let them think of the past happenings that have happened during the last twenty years when the whole approach to the problem has been one of bungling. Therefore, my appeal would be this. Let us make a compromise; let us today agree to the continuation of English for the time being. Meanwhile, let us all concentrate our attention in making the regional languages as the media of instruction up to the highest level in all the States.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: Is he ready to fix a time-limit?

SHRI P. RAMAMURTI: Once that is done, my hon. friend Shri Frank Anthony will find that after five years or ten years there will not be many people who would be very proficient in English and he will be fighting at that time, for that kind of thing. Then, the problem will be looked upon by the people as a practical problem and then people will begin to ask 'Which is the Indian language through which communication between us can be bettered?' then, I am sure that by virtue of the fact that Hindustani happens to be the language which in spoken by most people, people will inevitably come to the conclusion that Hindustani should be the language

of communication between the people and the Government.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo Indians) : Hindustani ?

SHRI P. RAMAMURTI : Let us fight that battle also.

श्री फ्रैंक एन्थनी : हम भी झगड़ा करेंगे ।

SHRI P. RAMAMURTI : आप चलिये हमारे साथ, आइये ।

I would, therefore, say, that this is only a temporary way by means of which the problem can be solved for the moment. But I want to say that even this Bill is no solution to this problem at all. The fundamental problem is going to remain there, and that fundamental problem can only be solved on the basis of the recognition of the equality of all languages in the matter of communications between one State and another and between one State and the Centre. What prevents the Central Government from saying that Tamil Nad can communicate with the Centre in Tamil and they will have their own arrangement for translation ? A few crores of rupees for maintaining and developing the unity of this country are nothing. It is the whole approach today that is creating all kinds of difficulties.

Similarly, the right of every people to address the Central Government and to receive a reply in their particular language must be guaranteed, but unfortunately that is not guaranteed in the Constitution. But it must be guaranteed. Similarly, the Central Government must see to it that in all those offices that are situated in the various non-Hindi areas, the Central officials conduct their transactions with the people of that area in the language of that area and not in Hindi or English. For example, why should the Income-tax Department deal with the people of Kerala in English or Hindi ? Why should they not deal with them in the Malayalam language ? Unless we guarantee this right to the people of this country on the basis of the equality of languages and the equality of the different people speaking the different languages recognised without any inhibition and without any kind of reservation and on that basis we try to arrange our affairs, there can be no permanent solution to this problem, and this problem will lead to the disruption of the unity of this country. I warn Government that they have got to change their present attitude and adopt this basic approach that I have suggested. Unless this basic approach is adopted, I would warn them that they will be responsible for the disruption of the unity of this country, and nobody else.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Tulsidas Jadhav.

SHRI J. B. KRIPALANI : I did not like to interrupt the eloquent speaker, my hon. friend, Shri Ramamurti. I hold no brief for this Government. But I want to correct him on one or two points.

First of all, he must remember that the Congress always stood for linguistic provinces.

SHRI P. RAMAMURTI : I said that.

SHRI J. B. KRIPALANI : Also, nobody every spoke against Hindi before independence. Nobody, not even Rajaji, nor the people of the South, spoke against Hindustani.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : There was no question of language then; the question was of independence.

SHRI J. B. KRIPALANI : I am only trying to correct a misapprehension which may be created by the speech of my hon. friend by saying that the Congress stood for linguistic provinces. Nobody objected to that. But Government took some time in bringing that about. That is another question. Nobody ever spoke against Hindustani being the national language of India. Therefore, even if the Government did something wrong in issuing the circular, they did it because they thought that this proposition had been accepted by the whole of India.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Before 1947, the only question before us was independence.

SHRI S. XAVIER : Prior to independence there was no necessity to oppose Hindi.

SHRI J. B. KRIPALANI : I do not want any discussion on this point; I only wanted to correct a misapprehension.

SHRI P. RAMAMURTI: There is no correction needed. I never said what has been attributed to me. The Congress Government went against its own resolution. What am I to do?

SHRI RAJARAM: Even in 1937, we opposed it in the South.

SHRI MUHAMMED SHERIFF (Ramanathapuram): Even in 1937, we opposed Hindi, when it was imposed as compulsory education. Acharyaji does not remember that.

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो यह ग्राफिशियल लैंग्वेजेज़ ग्रमेण्डमेन्ट बिल ग्राया, उस के बारे में ग्रभी तक काफी बहस हुई है। यह बिल जो यहां पर लाया गया है, इसमें सरकार का उद्देश्य क्या है, हमें इस को समझना होगा। हमारे संविधान की धारा 343 में ऐसा लिखा है कि भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी रहेगी ग्रौर उस के साथ-साथ एडीशन कर के ग्रंग्रेजी रहेगी—ऐसा कांस्टीट्यूशन में दिया गया है। 15 वर्ष तक तो इस प्रकार चलेगा, लेकिन 15 वर्ष बाद—जनवरी, 1965 से बिलकुल हिन्दी हो जायेगी। जब इस तरह का सर्कुलर सरकार की ग्रोर से निकाला गया, तो उस के खिलाफ जो नान-हिन्दी राज्य हैं, विशेष रूप से मद्रास ने उस का विरोध किया। विरोध होने पर फिर 1963 में एक कानून बना, जिसमें कहा गया कि एडीशनल भाषा के रूप में इंगिलश भी चालू रहेगी।

15.49 Hrs.

[SHRI C. K. BHATTACHARYYA *in the Chair*]

ग्रब यह भी बिल ग्राया है, इस के ग्रन्दर भी वही क्लाज़ है कि 15 वर्ष पहले हिन्दुस्तान में जिस रीति से इंग्लिश भाषा चलती थी, उसी रीति से चालू रहेगी, जब कि 1963 में यह था कि इंग्लिश "इन एडीशन टु हिन्दी" रहेगी, ग्रर्थात् उस में हम ने हिन्दी को माना था ग्रौर यह तय किया था कि जिनको दिक्कत ग्राती है, जो हिन्दी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, उन को डिफिकल्टी न हो, इस लिये ग्रंग्रेज़ी भी चले। ग्रब जहां तक इस बिल के लाने का सम्बन्ध है, जो इन्कलीनेशन दिखाई देता है वह यही है कि जो हमारी नान-हिन्दी स्टेट हैं, जिनको दिक्कत पैदा होती है, उन की सहूलियत के लिये इस को लाया गया है—इतना ही सार मुझे इस का दिखाई देता है। जो यह बिल देखने के बाद नज़र ग्राता है। लेकिन उस के साथ-साथ जो उस के प्राविज़ोस रक्खे हुए हैं ग्रौर जो उस के क्लाजैज़ रखे हुए हैं, क्लाज़ 2, 3, 4 ग्रौर 5, इन क्लाजैज़ से मालूम देता है कि हिन्दी भाषा को बढ़ाने के लिये बहुत कम जगह इस में रखी हुई है।

यह बात सही है कि भाषा का झगड़ा है। पिछले 2-3 दिन के दौरान होनें वाले भाषणों को मैंने सुना है ग्रौर उन में कभी-कभी ऐक्साइटमेंट नज़र ग्राता है। हो सकता है कि उस ऐक्साइटमेंट के पीछे गुस्सा न हो लेकिन जो कुछ ग्रांखों के सामने सर्विस कहो या देश में कुछ ऐसी चीजें हों जिन में कुछ फायदा होता है उस में हमें फायदा कम होगा या किस को ज्यादा होगा इस डर के मारे उस के पीछे जो विचार है वह विचार वह है ऐसा मैं समझता हूं।

एक बात सही है कि जो हिन्दी भाई हैं उन से मेरी प्रार्थना है ग्रौर वह यह कि ग्राप के देश की भाषा तो हिन्दी मानी हुई है। मानने के बाद जो नान-हिन्दी लोग हैं या स्टेट हैं उन को समझाना उन को साथ लेना ग्रौर उनको अपने साथ लेकर देश को एक साथ ले जाना यह ज़िम्मेदारी, यह जवाबदारी हिन्दी प्रेमी लोगों की है ग्रौर वह उन की जवाबदारी, पिछले 20 वर्ष में वह भाई जो हिन्दी जानने वाले हैं वह गुस्सा करेंगे लेकिन मेरे भाई माफ करेंगे मुझे कि पिछले 20 साल में जिस रीति से हिन्दी के लिये कोशिश होनी चाहिये थी उनकी तरफ से वह कोशिश हुई नहीं है। ग्राप कह सकते हैं कि सरकार यह काम करे लेकिन मेरा कहना है कि हर बात में सरकार

नहीं आती। वालियैंटरी आर्गेनाइज़ेशन्स इसके लिये जब तक तैयार नहीं होती तब तक सरकार के कानून, सरकार के सिपाही या पुलिस हर जगह पर काम नहीं देते। यह ठीक है कि इस काम को करना भी सरकार की ड्यूटी है। मेरा कहना यह नहीं है कि यह सरकार की ड्यूटी नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा सरकार तो एक तटस्थ होती है, देश में जनता की मेजारिटी होती है और जनता के विचार होते हैं उनमें से कई विचार जो सरकार अख्तयार कर लेती है, मान लेती है, उस विचार का बढ़ाना, उसे अमल में लाना यह उस विचार के प्रेमी लोगों का काम है। मेरा कहना है कि वह काम उनकी तरफ से नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मैंने जहां तक देखा है वहां तक ठीक रीति से समझा-बुझा कर भी काम करने का तरीका नहीं होता। इससे यह टैंशन बढ़ता है।

मैंने दक्षिण भारत के एम०पीज़० के भाषण सुने और कम्युनिस्ट भाइयों के भी भाषण सुने। उनमें एक चीज़ यह नजर आती है कि हिन्दी लोगों का जो एक रवैय्या है वह एक ज़बरदस्ती हो जाती है ऐसी फीलिंग है। उनमें होती है या नहीं होती है वह बात जुदा है लेकिन इस रीति से फीलिंग पैदा हो देश में तो वह भी ठीक बात नहीं है। हमारे जो हिन्दी भाई हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि उस रीति से वह न करें। मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं, हिन्दी जानता हूं, हिन्दी का प्रेमी हूं और जब से यहां पर पार्लियामेंट में आया हूं तब से मैं यहां हिन्दी में ही भाषण करता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ हमारा यह फर्ज है और हिन्दी प्रेमी लोगों का फर्ज है कि वह गैर हिन्दी लोगों को अपने साथ ले लें। जैसे 20 वर्ष गये वैसे और कई दिन चले जायें तो उसमें नुकसान नहीं होगा मगर हम को विश्वास है कि इस देश में कोई प्रान्त ऐसा नहीं है कि जो प्रान्त देश से बाहर रहने की इच्छा करता है और वह बाहर रहने की इच्छा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष उनके दिल में आ जाये मैं उसमें विश्वास नहीं रखता क्योंकि भारत के एक रहने से जो हर आदमी की इज्जत है वह इज्जत कोई कूप-मंडूक बनने से भाषा के सबजैक्ट के ऊपर चली जाती है, मैं ख़याल नहीं करता कि ऐसा किसी का विचार है? लेकिन उसके साथ उसमें जो दिक्कत है वह दिक्कत भी ख़याल में रखें। कल माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आंकड़े दिये कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से प्रान्त के कितने लोग हैं। उन आंकड़ों को देखने से यह मालूम होता है कि मद्रास के ज्यादा से ज्यादा 20 परसेंट लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हैं। जाहिर है कि उस वक्त तो अंग्रेज़ी का ज़माना था और अंग्रेज़ राज्य करते थे तो उस भाषा का महत्व था। उसके साथ-साथ यह भी बात सही है कि अंग्रेज़ी भाषा से हमें द्वेष नहीं लेकिन अंग्रेज़ी भाषा के साथ हमारे दिल पर एक गुलामगीरी आई थी यह बात भी सही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और संस्कृत मैं ने ली तो यह संस्कृत हमें अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ाई गई। उससे हमें बहुत दिक्कत हुई और उसका पढ़ना मुश्किल हो गया लेकिन तो भी उसे पढ़ना पड़ा क्योंकि पढ़े बिना छुटकारा भी तो नहीं था। इसके मानें यह हैं कि अंग्रेज़ों के राज्य में अंग्रेज़ी भाषा की एक ज़बरदस्ती हमारे साथ में होती थी। उस ज़बरदस्ती के होने से बड़ा नुकसान हुआ। उसके साथ-साथ क्षमा करें वह विचार भी आया इसीलिये जो नान हिन्दी स्टेट हैं उनसे भी मेरी रिक्वैस्ट है कि जो भी हो इंग्लिश तो रहनी ही चाहिये। ऐसा कहना उनके लिये उचित न होगा क्योंकि इस तरह से थोड़े मुट्ठी भर लोग मद्रास में हों, केरल में हों, मैसूर में हों अथवा आंध्र में हों या पश्चिमी बंगाल में हों, जिनके कि हाथ में यह चीज़ रहेगी। लेकिन आम जनता अंग्रेज़ी नहीं चाहती है उनको शौक नहीं है कि सब जगह पर अंग्रेज़ी हो और जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र ने कहा कि आजकल कई प्रान्तों में तो अंग्रेज़ी को निकाल दिया गया है और मातृभाषा को, जो वहां की लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है वहां माध्यम

[श्री तुलसी दास जाधव]
से शिक्षण होता है। इसलिये जो नान-हिन्दी स्टेट के लोग हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह अंग्रेजी के पीछे इतने डटे हुए नहीं रहें कि हिन्दी वालों को एक जुर्माना हो जाये।

दूसरी बात यह है कि इस संशोधन विधेयक के अन्दर जो चार क्लाज़ हैं एक तो पहला क्लाज है पहले जैसे कानून में रखा है उस रीति से वह रखा हुआ है। इसमें एक बात यह है कि जो प्राविज़ो है उस प्राविज़ो में यूनियन का नान-हिन्दी स्टेट के साथ इंग्लिश में पत्र-व्यवहार होगा, ऐसा उसमें लिखा है। दूसरे प्राविज़ो में एग्रीमेंट है कि आपस में हिन्दी के लिये एग्री करते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि पहला प्राविज़ो जो है कि यूनियन को नान-हिन्दी स्टेट्स से पत्र-व्यवहार करना हो तो वह अंग्रेजी में करे। उसके साथ में वह हिन्दी का ट्रान्सलेशन भेज दें तो ठीक लेकिन इतना भी नान-हिन्दी स्टेट्स सहन नहीं करती हैं। यह बड़ी दिक्कत है। जब आप के दिल में हिन्दी सीखने की लगन है तो आज नहीं तो कल आप उसे सीख ही लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आंध्र को, मद्रास को पत्र लिखे तो वह अभी अंग्रेजी में भेजे लेकिन उसके साथ हिन्दी का ट्रान्सलेशन भी भेज दिया जाया करे तो भी आप जिस को चाहें उसे दिखा सकते हैं और उससे पढ़वा भी सकते हैं लेकिन उसके लिये भी आज हमारे उधर के कई भाई कहते हैं कि वह हम को नहीं चाहिये तो मेरा कहना है कि उनका यह ऐटीच्यूड भी ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी नान-हिन्दी स्टेट से पत्र-व्यवहार करे तो उसके साथ हिन्दी में ट्रान्सलेशन भेज दे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि नान-हिन्दी स्टेट से यूनियन का पत्र-व्यवहार हो या उनका पत्र-व्यवहार किसी दूसरी हिन्दी स्टेट से हो और वह नान-हिन्दी स्टेट उनके साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करें तो उसके साथ हिन्दी का भी तर्जुमा हो और यदि ऐसा होता है तो दोनों के लिये ठीक होगा। यह हो सकता है कि हिन्दी का तर्जुमा रखने से ऐसा समझा जाय कि नान-हिन्दी स्टेट के ऊपर एक इम्पोज़ीशन होता है लेकिन वह लोग यह भी खयाल रखें कि हिन्दी वालों के ऊपर भी अंग्रेजी का इम्पोज़ीशन न हो। इस संशोधन विधेयक के अन्दर हिन्दी वालों पर एक इम्पोज़ीशन है क्योंकि अगर उन्हें अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों से पत्र-व्यवहार करना हो तो उनको अपने हिन्दी पत्र का इंग्लिश ट्रान्सलेशन भी कर के मद्रास को भेजना होगा।

मद्रास वालों को कहते हैं कि यह इम्पोज़ीशन नहीं है, कम्पलशन नहीं है और चाहें तो इंग्लिश में भेज दें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दी को बढ़ाना है, अगर आप हिन्दी को कबूल करते हैं तो ट्रांसलेशन को आप को कबूल कर लेना चाहिये। जहां तक ट्रांसलेशन का सम्बन्ध है मैं विनती करूंगा कि हर आदमी इंग्लिश का हिन्दी में और हिन्दी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है और न उसको ऐसा करने को कहा जाना चाहिये। इसके लिये सेंटर में और स्टेट्स में सैल होने चाहिये। जो पत्र हिन्दी में आयें उनका तर्जुमा वे सैल करें। जो अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार होता है उसका ट्रांसलेशन वहां हो ताकि किसी प्रकार की तकलीफ न हो। यह जो मारा-मारी चल रही है यह सर्विसिस के लिये चल रही है। इस बिल में कहा गया है कि जहां तक सेंटर का सम्बन्ध है यहां अंग्रेजी और हिन्दी दोनों चलेंगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। सेंटर के कुछ डिपार्टमेंट बम्बई में भी हैं तथा देश के दूसरे भागों में भी हैं। अब वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं—उनको दोनों भाषायें सीखनी पड़ेंगी। वह भी उनके ऊपर एक प्रकार का कम्पलशन है। जैसे आप बिहार को लें। बिहार में भी सेंटर के आफिस हैं। वहां अंग्रेजी नहीं है बिहार में। वहां शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। अब उनको इसमें कम्पलशन होती है। यह जो कम्पलशन है इसको आपको निकालना चाहिये।

क्लाज़ चार में लिखा हुआ है कि अगर पत्र लिखने में या पत्र का उत्तर देने में देरी

होने का भय हो तो हिन्दी तर्जुमा साथ भेजने की आवश्यकता नहीं है और अंग्रेजी में ही पत्र लिखा जा सकता है । सेंट्रल गवर्नमेंट के आफिसिस में आपने हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों के लिये कहा है । अब आप यह सहुलियत दे रहे हैं कि अगर कोई अफसर कहेगा कि ट्रांसलेशन करने का वक्त नहीं है, इसमें देरी होगी तो अंग्रेज़ी में वह उस पत्र को भेज सकेगा । मैं समझता हूं कि इस तरह से हिन्दी बढ़ने वाली नहीं है, उसकी प्रगति होने वाली नहीं है ।

क्लाज़ पांच में आपने वीटो का अधिकार दिया है । वह भी ठीक नहीं है । कोई एक प्रान्त अगर हिन्दी को न माने तो इसका मतलब यह है कि वह चौदह पन्द्रह प्रान्तों को कम्पैल करेगा कि वे अंग्रेज़ी रखें । यह भी ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं कि हिन्दी वालों पर पर अंग्रेज़ी का कम्पलशन और अहिन्दी वालों हिन्दी का कम्पलशन नहीं होना चाहिये । किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिये । इस तरह का प्रोविज़न आपको इसमें कर देना चाहिये ।

आखिर में मैं एक विनती करना चाहता हूं । भारत जो पाकिस्तान बनने के बाद बचा है, वह युनाइटेड रहे, यह आपको देखना चाहिये । हमने देखा है कि नार्थ में भी और साउथ में भी भाषा को लेकर गड़बड़ हुई है । मैं कहूंगा कि यह जो गड़बड़ होती है इसको हम जो लीडर हैं उनको रोकना चाहिये । हर पार्टी के लीडरों से मैं कहूंगा कि इस देश में कानून का राज अगर चलना है, अगर इस देश में डैमोक्रेसी को चलना है तो हमें रिस्क ले कर भी इन गड़बड़ियों को रोकना होगा । इन गड़बड़ियों के लिये जवाबदारी हमारी होनी चाहिये । चौरा-चौरी में जब गड़बड़ हुई तो गांधी जी ने सत्याग्रह वापस लिया । राजकोट में गांधी जी ने उपवास किया । पीछे उनको मालूम हुआ कि मेरी गलती हुई है तो उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली । जिस तरह से वे अपनी जवाबदारी को समझते थे, जिस तरह से वह रिस्क लिया करते थे, उसी तरह से हम को भी रिस्क लेना सीखना चाहिये । अगर हिन्दी भाषा-भाषी विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं तो यह हिन्दी वालों की जवाबदारी है । उनको चाहिये कि वे रिस्क लें और अगर इन एजीटेशन्ज़ में कोई जानें जाती हैं तो इसकी भी उनकी जवाबदारी है । पीछे आपको मालूम ही है कि मद्रास में एजीटेशन चला था और वहां पर एक आदमी ने अपने आपको जलाया था और पुलिस वाले को भी जला दिया था । उस वक्त मद्रास वालों का यह कर्त्तव्य था कि वे आगे आते और अपनी जान पर खेल कर भी इस तरह की गड़बड़ियों को रोकते । जो लीडर बनते हैं उनको सब तरह की जवाबदारी लेनी चाहिये । तब यह काम होगा । अगर बाहर गड़बड़ी चलती है और हम उसको यहां खड़े होकर प्रोत्साहन देते हैं तो न यहां डैमोक्रेसी रहेगी और न ही पार्लियामेंट चलेगा । आपस में यहां कई बार इतनी गर्मागर्मी चलती है, इतना टैंशन क्रियेट हो जाता है, कि बाहर वालों को ऐसा मालूम होता है कि अगर ये बीच में मज़बूत खम्भे न हों तो ये लोग अभी लड़ पड़ें ।

मैं नान-हिन्दी प्रान्तों में घूमा हूं । मद्रास, केरल आदि में मैं गया हूं । वहां भी हिन्दी के लिये प्रेम-भाव है । बड़ी मुहब्बत है । उनके साथ भी किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिये । मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वह झूठी इज्ज़त पर न खड़े रहें, फाल्स प्रेस्टीज में न पड़ें और आगे हो कर खुद कोई रास्ता निकालें जिस से देश ठीक तरह से चल सके ।

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians) : Mr. Chairman, Sir, may I say with great respect that there does not seem to have been much attention paid to what is before the House—this amending Bill and the resolution. I propose to confine my remarks to the amending Bill and the resolution.

The Home Minister had mentioned that this amending Bill was a compromise. I

[Shri Frank Anthony]

agree entirely with him that it is a compromise, it is a compromise between the Nehru assurance and the increasing, the unremitting pressure of the Hindi lobby both in the Congress Party and outside. You may remember that when the original Bill or the original measure was on the anvil I had analysed what became sections 3 and 4 and I pointed out that they constituted a calculated scheme for the blanket imposition of Hindi by the backdoor. I had summed up my opposition to that original measure at the Third Reading stage in one sentence. I had said that it was a travesty of the Nehru assurance, that it was a calculated scheme for the imposition of Hindi by the backdoor and that it was indeed a fraud on the non-Hindi-speaking people.

Sir, I will concede this to the Hindi zealots that they have been consistent, they have been consistent in their intention to ensure that the Nehru assurance is not implemented, they have been consistent in their intention to ensure that the Nehru assurance is both sabotaged and indeed dishonoured (*Interruption*). I am only dealing with the Nehru assurance, nothing outside.

Some people, including my hon. friend who has interrupted me, seek to invoke the Constitution; either—I do not want to be harsh; in the courts I am the personification of mildness and I do not want to impute any motives—they do not choose to understand the plain language of the Constitution or deliberately they seek to distort it in order to suit this Hindi imposition motive. Article 343 is invoked in season and out of season. Equally it is distorted in season and out of season. The Hindi protagonists say, look at Article 343, it sets an absolute dead-line after 1965 for the complete imposition of Hindi as the sole official language. I say, no. I say, look at the whole article, look at clause (3) which is a *non-obstante* clause. You know, Sir, what a *non-obstante* clause is. What does clause (3) of article 343 say? It says:

> "Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of....
>
> (a) the English language, or......"

It says that notwithstanding anything in article 343, after 15 years, that is, after 1965, Parliament may specify the use for English. In my respectful submission—the Hindi protagonists would not agree-provided Parliament specifies the use, it may say, in terms, that after 1965 English shall continue for all the official purposes of the Union. That, in my respectful submission, is the plain and ordinary meaning of the *non-obstante* clause. The *non-obstante* clause effaces everything before it, effaces the reference to Hindi being the official language of the country. As I said, the original Bill, in my respectful submission, was a travesty of the Nehru assurance. I say this with great respect to the Home Minister that this amending Bill is a continuing travesty of the Nehru assurance. All the basic defects, all the basic snares in the original Bill are still continued. You will remember the language used—English may be used in addition to Hindi.

Now, Sir, I had written to Jawaharlal Nehru. He had replied to me on the 18th April 1963. I told him that this language, this permissive language was a travesty of his assurance to the non-Hindi-speaking people. He replied to me—I have got his letter, reply, with me—saying that it was his intention that it shall be mandatory and he had been advised that 'may' in that context meant 'shall'. That was the clear intention of the Nehru assurance propounded by Nehru himself, that it will have to be mandatory. But what happened? When I was seeking a clarification, the then Home Minister, Shastriji,—I loved him but I had to fight him on this issue—said that 'may' means 'may'. 'May' is permissive, and in this context how will it be interpreted? I do not want to point a finger at all the members of the Central Cabinet. I believe the Home Minister wants to try and implement the Nehru assurance. But he and other people like him—God knows there are only a handful there—are complete captives of the dominant Hindu chauvinist bloc in the Central Cabinet itself. In that view of the matter, what will it mean? It will mean that it is a complete travesty of the Nehru assurances; that Hindi shall be there for all official purposes, that will be the interpretation. English may be, or indeed it

may not be used for a single official purpose. That is what the present language Bill means. It is a complete and utter travesty of the Nehru assurances.

My friends, the Hindi zealots have been worked up. Certain sops have been given I agree; they have spelt out certain mandatory uses for English languages. But if you analyse the mandatory uses, they are an insult to the Nehru formula. You have merely spelt out certain utterly inconsequential, valueless uses for mandatory purposes. In my respectful submission, this was not the Nehru assurance, this was not the assurance of bilingualism.

Then, I will ask you to recall what was section 4, the original section, which has not been touched. One of my strenuous objections was to the original section 4. It is intact. What is section 4, it remains intact. I had attacked it, because it says that after ten years, that is, ten years after 1963, that was the date on which it was put on the anvil, there will be a committee. I say that committee will be a mockery because that committee will be hand-picked, it will be packed, that committee will be packed by Parliament, but it will be a mockery of a parliamentary committee, because the report of that committee will not come back to Parliament. So, this section 4 is a negation of a parliamentary committee. The report of that so-called parliamentary committee, Parliament will not be able to amend it by one single word. Parliament will not be able to amend it by a single syllable. That report will go directly to the President. He may be an avowed Hindi chauvinist and he will make his recommendations for the blanket imposition of Hindi.

What does this amending Bill do? I am surprised that even my friends of the DMK have not analysed it. A few crumbs, a few scraps have been thrown from the table of the Hindi masters, from the Hindi Herrenvolk, to the non-Hindi-speaking people. What are these crumbs? Look at these crumbs—communications between one department of the Government and another will carry an English translation; resolutions, general orders, rules, notifications, contracts between one department and another, they will also carry an English translation. Is this the assurance of bilingualism? It is a negation of the Nehru assurance of bilingualism. It is a garish mockery of that assurance. That assurance was that until the non-Hindi-speaking people decide, at least till then, English will be used for all the official purposes, in addition to Hindi.

Is this the assurance? As I said, it is a cynical travesty; this Bill is nothing but a cynical travesty of the Nehru assurances to the non-Hindi-speaking people.

The Bill itself, it contains all the means, all the instruments, this amending Bill, if you analyse it—nobody has bothered about it; I am doing it as a lawyer—it contains all the means, all the instruments for the blanket imposition of Hindi.

SHRI S. S. KOTHARI: A good advocate for a bad cause, a lost cause.

SHRI FRANK ANTHONY: It is not a lost cause. You are destroying the country.

All that was necessary in order that the Nehru assurances should have been honestly, really implemented, was, as I told Shri Jawaharlal Nehru, an ordinary two-line measure that English shall be used as an associate language, in addition to Hindi, for all the official purposes of the Union, because even the Parliamentary Committee on languages, of which I was a member, said that even after 1965 Hindi will not be sufficiently developed for some of the major purposes, and there English should be used as the principal language. That would have been the implementation of the assurances.

Now, look at the Resolution.

The Resolution, with great respect to Shri Chavan—I do not think he had much to do with it—is even more tortuous; it is even more devious than this amending Bill itself. It is another surrender to this unremitting pressure from the dominant clamorous Hindi bloc in the Congress Party and outside.

What does it do? The few scraps, the few crumbs that this amending Bill purports to throw to the non-Hindi helots, like the DMK people, even those are negated and stultified. Look at the built-in-devices in the Resolution itself about the blanket

[Shri Frank Anthony]

imposition of Hindi : the imposition of the three-language formula : promotions and confirmations will depend on passing a Hindi test : multiplicity of media leading inevitably to the quota system, and the quota system meaning what? The largest quota going to the Hindi-speaking people. Why? Because they have the largest number of votes of illiterate heads in the country.

SHRI BHOLA NATH (Alwar) : Why not? This is a democracy. Yes, we must enjoy.

SHRI FRANK ANTHONY : That is a new interpretation of democracy, that for entrance into the superior services where some education is required you must count the number of illiterate heads. That is quite a new and a devious interpretation of democracy.

The worst feature in this Resolution is —it is worst even than section 4—that there has to be an annual review guaranteeing the progressive imposition of Hindi. My objection to section 4 was that contrary to the Nehru assurance of bilingualism, until the non-Hindi-speaking people so decide it would continue for all the purposes, under section 4 after 10 years you can have the blanket imposition by a packed committee, but here by this vision for a review every year, it may not be even ten years. Within a year, within two years or within three years by the backdoor through this provision there will be the blanket imposition of Hindi.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why backdoor?

SHRI FRANK ANTHONY : Let me deal with only some of the items in the Resolution—I should have liked to deal with all. I would like to deal with some briefly.

The Home Minister in his Resolution has referred to article 351. I agree with you that article 351 is a directive principle. It casts a duty on the Union to develop Hindi so that it will be—what? You know, what it is meant to be—an expression of the composite culture of all the elements. That much the Home Minister puts in. He omits—I do not say that he does it deliberately—the second part of article 351. What does article 351 in the second part say? It says, "in order to represent the elements of the composite culture of India, it will draw on the forms, the styles and the expressions of Hindustani, on the languages in the Eighth Schedule and primarily on Sanskrit."

Who has stultified article 351? The Central Government, apart from the Hindi zealots, has done that. Has article 351 got any meaning and content? Every style, every form and every expression in Hindustani—has been deliberately purged from the new Hindi, although that is the commonest language in currency today. Hindustani has been driven out not because it is Urdu but because it has an Urdu sound.

I learnt Hindi as my second language. At least I thought, it was Hindi. I have earned not a little money at the bar through the medium of Hindi. Today I am an illiterate because of the new Hindi, because of the artificial monstrosities of All India Radio. Today we have become illiterates because of the new Hindi.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य हिन्दु-स्तानी चलायें ।

श्री रवि राय : आप हिन्दुस्तानी चलायें ।

SHRI FRANK ANTHONY : People talk glibly. They talk of 2 per cent of the people being English knowing and 40 per cent being Hindi knowing. Either these are deliberate canards or they are deliberately ignorant statements. I will not talk about the English figures but what are the Hindi figures? Look at the 1951 census and after that the 1961 census. You will find that Hindi which does not constitute even more than 25 per cent has filched the figures for a whole range of languages which have nothing to do with Hindi. Urdu, Punjabi, Rajasthani—are 70 dialects —have all been included. The census has been doctored to inflate the figure of 25 per cent.... (*Interruption*).

The tragedy with my friends is that they will not argue at a rational level; they sink to vulgarities. That does not do. No crudity, my hon. friends. You do not understand English.

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East Delhi) : You use vulgar language. You have been using abusive language, saying Hindi chauvinists and all that.

SHRI FRANK ANTHONY : I can only pity my friend's knowledge of English if he says 'chauvinist' is a word of abuse.

Sir, the Resolution talks of accelerating the development of Hindi. I have said 'yes'. I have given a substitute Resolution. If the Central Government wants to accelerate it, let it accelerate it at the cost also of the Hindi States. Why? (*Interruption*) When I speak the truth, they get offended. Today, Hindi is, comparatively new, an undeveloped language. You cannot develop a language by artificial respiration, by throwing away crores of rupees.... (*Interruption*). The tragedy is that they do not like anybody to make out a case. They want to shout it down. Let them try to understand and counter my arguments.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : Are not words like 'fanatics' and 'chauvinists' abuses? This is an abusive language.

SHRI FRANK ANTHONY : What a pathetic commentary on my friend's knowledge of English language! It is choice language, the quintessence of dignity of language.... (*Interruption*).

SHRI HARDAYAL DEVGUN : If this is the dignity of language, we pity you.

SHRI FRANK ANTHONY : As a sop to the non-Hindi-speaking people, my friend, the Home Minister, has said that he will develop the languages in the Eighth Schedule and Hindi. With great respect to my friend, the Home Minister, may I say that this part of the Resolution is the greatest affront to the many Indian languages that are not in the Eighth Schedule? Many of the languages in the Eighth Schedule are not regional languages; many of them are not the official languages of a State. Now, if you want to insult the other Indian languages, you may insult them but don't insult the official language of a State.

Sir, I argued it in the Supreme Court, whatever my friends may say, and as a result of my argument—let them go and look into the 1954 judgment of the Supreme Court in the Bombay Education Society case; my friends will not probably accept it—the Supreme Court said that English is as much an Indian language as any other language because it is the language of Mr. Anthony's community. They went on further and affirmed it that not only it is equal in status to the languages in the Eighth Schedule.... (*Interruption*) I am telling you what the Supreme Court has said and they are shouting it down. Today, the position is much stronger.... (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Let him be allowed to proceed. The Supreme Court judgments do stand.

SHRI FRANK ANTHONY : They have said that it is not only equal to the languages of the Eighth Schedule but it is the dominant Indian language because it is the language of the Constitution, it is the language of the Supreme Court, it is the language of the High Courts and, unlike what Mr. Chavan has said, it is the only language of authoritative legislation........ (*Interruption*) I am not going to attempt to reply to my friends there. My friend asks me : What is the position today? Today, the position is infinitely stronger. Today, Nagaland has chosen, rightly, to adopt the English Language—presumably, it is an Indian State—as the official language.... (*Interruption*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : So what?

SHRI FRANK ANTHONY : So far, you have been insulting my community because it is a small community; you have been deliberately insulting us.... (*Interruption*)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है । ऐंग्लो इंडियन कम्यूनिटी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष, महोदय, किसी का मतलब यह नहीं है । यह उसको गलत ढंग से रख रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN : Will you kindly sit down? Let him proceed.

SHRI FRANK ANTHONY : What do you say? You point to my language and

[Shri Frank Anthony]

you say, destroy it.... (*Interruption*) The other day, my wife was insulted—I do not want to bring in such a thing here.... (*Interruption*) It is because we are supposed to be foreigners and speak a foreign language. All right, today you insult us because you think you can do it. Today, the Central Government says that Nagas are welcome in spite of the pressures from the Hindi chauvinists. You cannot both eat your cake and have it too with regard to Nagas. You cannot say to the Nagas, "Yes, you are welcome, but your language is not acceptable to us". So far you insulted this language because it was only the language of the Anglo-Indians. But now you will not be able to say that to the Nagas, not only because it is my language, but because it is an official language. it is a regional language, it has a superior status to many of the languages in the Eighth Schedule which are neither regional languages nor official languages.

Let me now deal with the question of multiplicity of media. I know that even my friends from Tamil Nad have subscribed to that—multiplicity of media for the examinations for the Central Services. But who has studied this? I regret to say this that the Central Government, on vital matters, comes to snap decisions; some momentary political pressure and the most vital decisions having disastrous consequences to the country are arrived at. Pandit Jawaharlal Nehru was angry with me when I fought with him and told him about the impetus that he was giving to disintegration when there was that decision about linguistic reorganization taken on the basis of slogans, taken on the basis of slogans, which had ceased to have any validity in the new Indian context...... (*Interruptions*) Today my friends have not analysed the position; I have to analyse it because I know something about it. For the IAS examination, how many examiners are there? There are about 70 examiners and they have to be changed every three years. Multiply that by 12 or 14. We find difficulty in finding suitable examiners for the IAS when they have to be changed. Multiply it by 12 or 14. Where will you find suitable examiners in 12 or 14 languages? (*Interruptions*) I am showing the implications...... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please allow him to proceed.

SHRI FRANK ANTHONY: Then you will have to have 12 or 14 *viva voce* Boards, each competing in mark-giving. So far, you had one person standing first in the IAS, but now you will have 12 or 14 persons standing first in the IAS.

श्री रवि राय : तो क्या हुआ ?

SHRI FRANK ANTHONY: 'Kya Hua' will be this that the competition will be not among the examinees, the competition will be among the examiners. That will be the 'Kya Hua'. Then, what will be the further 'Kya Hua'? The further 'Kya Hua' will be this that because of this competition among examiners, my friend Dr. Ram Subhag Singh will put in his whole weight, which is not inconsiderable, into the quota system and while he will put in his weight into the quota system, what will happen? (*Interruption*)

AN HON. MEMBER: Mr. Piloo Mody is here to outweigh him.

SHRI FRANK ANTHONY: At present about 3 or 5 per cent of the people from the Hindi States get into the Central Services by competition. That cannot be helped. If you have got only three million literates in Hindi areas in the whole country, you are very lucky to be able to get 3 or 5 per cent. (*Interruptions*) That is all. What to do? You have barely 3 million literates. I am giving you the figures. The position will be this. You will want to have a quota system. Then, my friends will invoke democracy and they will get 40% instead of 3 or 5 per cent for the IAS; you will have 40% of the most pitiful ignoramuses from the Hindi States coming in and dominating the Central Services.

SHRI HARDAYAL DEVGUN: They got less percentage in Services because they were fighting against British imperialism.

MR. CHAIRMAN: He may conclude.

SHRI FRANK ANTHONY: Sir, I will conclude by referring to that part of the resolution which talks of the three-language formula. Now, with great respect, may I say to Mr. Chavan that that is a piece of palpable usurpation of authority. You know, Sir, Secondary and Higher Second-

ary Education represents exclusively a State subject. The States will say 'Who are you to tell us that we shall have a three language formula?' It is a piece not only of unwarranted dictation; States like Tamilnad will say that it is a piece of unwarranted impertinence.

Sir, my friend, Dr. Triguna Sen, is here. I like him. Unfortunately, when he performs too many somersaults, I have to be critical. When he performed one somersault he subscribed apparently in a prehensible way to the two-language formula. May I say, with great respect to him, that that is one of the few sensible things—this two-language formula—of which he has been guilty so far?

Another of his somersaults has been interpreted by the U.P. Government to mean the banishment of the three-language formula. The U.P. Government has banished the three-language formula. They have not even got the two-language formula. They have got one-language formula. They have arrogated to themselves the privilege of having one-language formula. They went through the motion of learning a third language from the South all that has disappeared.

Now you are going to say 'Take power in this resolution to say to them, to say to the others', when UP has buried it and has an one-language formula, 'You, the Tamils, you the Bengalis......' (*Interruptions*)

SHRI HARDAYAL DEVGUN *rose*—

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt. Please resume your seat. I am here to look after.

SHRI HARDAYAL DEVGUN: Can he talk in this way, Sir?

SHRI FRANK ANTHONY: I do not mind these interruptions, Sir.

How will you say, when you have arrogated, when the Hindi States have arrogated to themselves the right of having one-language formula, how will you say to the Tamil and the Bengalis. 'You shall have the three-language formula so that Hindi may be imposed on you'?

As I said, Sir, this Amending Bill is a continuing travesty of the Nehru Assurance. The Resolution is an even greater travesty.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं—क्या यह सही है कि मि० फ्रैंक एन्थनी ने जब कांस्टीचूशन बना था....

MR. CHAIRMAN: Shri Kanwar Lal Gupta will tell me what he wants.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपके जरिये से मि० फ्रैंक एन्थनी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं कि जब कांस्टीचूशन बना था उन्होंने हिन्दी का समर्थन किया था ? उन्होंने केवल यही कहा था कि हिन्दी रोमन स्क्रिप्ट में होनी चाहिये, लेकिन आज वह हिन्दी को लिंक-लैंवेज भी नहीं मानते, क्या यह समर-साल्ट नहीं है ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Randhir Singh.

श्री रणधीर सिंह : (रोहतक) : चेयरमैन, साहब—

न समझोगे तो मिट जाओगे,
ऐ हिन्दुस्तां वालो।
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी,
दास्तानों में ।।

अंग्रेज का जमाना चला गया, चेयरमैन साहब, सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है । जो लोग अंग्रेजी की वकालत करते हैं, वह अंग्रेज की वकालत करते हैं, अंग्रेज चला गया, अब वापस नहीं आ सकता । अब अंग्रेजी आखरी दम पर है, उसको चाहे कितने जोर का इंजेक्शन लगाओ, अब उस में जान नहीं आ सकती । कृपलानी साहब ने कल जो बात कही, वह बड़े पते की बात कही, अगर यह सरकार भी अंग्रेजी को जिन्दा रखना चाहेगी, तो भी अंग्रेजी जिन्दा नहीं रहेगी ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : यह सरकार मिट जायगी ।

श्री रणधीर सिंह : लोग अब अंग्रेजी को जिन्दा नहीं रखना चाहते, क्योंकि अंग्रेजी अब भूत हो गई है, उस भूत को अब कोई नजदीक आने नहीं देता । अगर किसी देश में गैरत है, अगर किसी देश में खुद्दारी है, अगर

[श्री रणधीर सिंह]

किसी देश में इज्जत है तो वह न अंग्रेजी से बात करेगा और न जो अंग्रेजी की वकालत करते हैं, अंग्रेजी के नजदीक खड़े हैं, उनसे बात करेगा। मैं यह बात न सिर्फ अपने जाती तौर पर कहता हूं, बल्कि देश में एक तहरीक चल गई है और उस तहरीक का आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता ।

मुझे बड़ा प्यार है, अपने जनूबी हिन्दुस्तान के भाइयों के साथ और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। क्या मद्रास है, क्या केरल है, क्या मैसूर है, क्या आन्ध्र है, ये हमारे देश की जान है। इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में, देश के कल्चर को बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। मैं यह चाहता हूं कि अगली बार वह दिन आये, जब हम नार्थवाले जनूबी हिन्दुस्तान की भाषाओं में यहां पर तकरीर करें और मेरे जनूब वाले साथी यहां पर हिन्दुस्तानी भाषा में तकरीर करें—मैं यह दिन देखना चाहता हूं और यह दिन जरूर आयेगा।

16.36 HRS.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मेरे भाई साउथ वालों की कुछ शिकायतें हैं—इनमें कुछ बातें ठीक हैं भी, लेकिन कुछ गलत भी हैं। असल में, स्पीकर साहब, यह जो रेजोल्यूशन है, यह सिर्फ जुबान का रेजोल्यूशन नहीं है, यह रेजोल्यूशन बड़ी भारी सियासी अहमियत रखता है, इकतसादी अहमियत रखता है, इसलिये मेरे वे भाई सियासी बिना पर, इकतसादी बिना पर कहते हैं कि उन को कुछ खदशा है, डाऊट है—यह बात ठीक है। अगर आज से पहले हमारी सरकार सेन्टर में एक ऐसी पालिसी अख्तियार करती, तो पता नहीं हिन्दी आज कहां से कहां चली जाती और हिन्दी ही नहीं, बल्कि सारी रिजनल लैंग्वेजेज़ की तरक्की होती। कौन हिन्दी के खिलाफ़ है, कौन रिजनल लैंग्वेजेज़ के खिलाफ़ है। ये अफसर और बाबू जो यहां बैठते हैं, इनके लिये एक छोटा सा टैस्ट रख देते और टैस्ट के साथ यह एलान कर देते कि हिन्दी में जिस भाई की इतनी प्रोफिशियेन्सी हो जाएगी, उसको एक इन्क्रीमेन्ट मिलेगा। हिन्दीवालों को एक इन्क्रीमेंट मिलेगा तो नान-हिन्दी वालों को, जो नान-हिन्दी वाले अफसर हैं, बाबू हैं, एस्सिटैंट हैं, सैक्शन अफसर हैं, इन्जीनियर हैं, उनको डबल इन्क्रीमेन्ट मिलेगा तो यह सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता और जैसा कल शास्त्री जी ने कहा कि दिल्ली से यह सारा झगड़ा चला है, जनूब से यह सारा झगड़ा नहीं आया—अगर यहां पर पहले से ही मुनासिब इन्तजाम हो जाता तो यह झगड़ा नहीं होता।

सारा झगड़ा सर्विसेज़ का है। सौ-पते की बात एक है और आग यह बात नहीं चलेगी। सारा हिन्दुस्तान आज जाग उठा है। गरीब से गरीब आदमी चाहे मजदूर हो या किसान हो, चाहे शुमाल का हो या जनूब का हो—एक बात समझ लेनी चाहिये कि वह दिन खत्म हो गये कि जब कुछ प्रिव्लिज्ड क्लास रूल करती थी। जो अंग्रेजी पढ़ता था, वही जरनैल बनता था, जो अंग्रेजी अच्छी बोलता था वही आइ० सी० एस० में आता था, वही आइ० ए० एस० में आता था। मैं होम-मिनिस्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाकई एक बड़ा इन्कलाबी कदम उठाया है और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसे ही कदम उठायें कि यू० पी० एस० सी० के अन्दर अब एक गरीब हरिजन का लड़का, एक गरीब किसान का लड़का, एक गरीब देहाती का लड़का, चाहे वह जनूब का है या शुमाल का है, वह फौज का जनरैल बन सकेगा, इंस्पैक्टर जैनरल आफ़ पुलिस बन सकता है और बड़े से बड़े आइ० ए० एस० और आई० एफ० एस० के इम्तिहान में आ सकता है। हिन्दी पढ़कर, मलयालम पढ़कर, तेलगू पढ़कर, कन्नड़ पढ़ कर, बंगाली पढ़कर, दूसरी जुबानें पढ़कर एक किसान का लड़का, मजदूर का लड़का इन सर्विसेज़ में आयेगा। . . .

एक माननीय सदस्य : तमिल पढ़ कर नहीं आयेगा ?

श्री रणधीर सिंह : मैं माफी चाहता हूं अपने साउथ के भाइयों से, तमिल पढ़कर वह इन सर्विसेज़ में आयेगा । आज भी मद्रास के भाई अंग्रेज़ी के हक में नहीं हैं, कोई केरल का भाई अंग्रेज़ी के हक में नहीं है, कोई मैसूर का भाई, आन्ध्र का भाई अंग्रेज़ी के हक में नहीं है । सारा झगड़ा नौकरियों का झगड़ा है, रोटी का झगड़ा है, सियासी ताकत का झगड़ा है, इस मुल्क का अफसर, फौज का अफसर, सिविल का अफसर कौन बनेगा, सारे देश का राजकाज कौन चलायेगा । अगर नौकरियों की बात न होती तो यह झगड़ा नहीं होता । कौन ऐसा आदमी है जिस में इतनी गैरत नहीं, इतनी खुददारी नहीं कि वह अपने देश की भाषा को छोड़ कर अंग्रेजी की वकालत करे । स्पीकर साहब कोई नहीं करेगा ।

मैं अपोजीशन वालों से कहना चाहता हूं कि वे अंग्रेजी की वकालत करना छोड़ दें । ऐसा करके हम इस सदन की पोजिशन को कम करते हैं, देश की पोजिशन को कम करते हैं, दूसरों की नजरों में अपने आपको गिराते हैं । परसों मैं बम्बई से आ रहा था मेरे साथ एक स्विटजरलैंड का आदमी भी आ रहा था । वह इस भाषा के सवाल को ले कर जो झगड़े यहां हो रहे हैं, उसका मजाक कर रहा था । उसने मुझ से कहा कि यह झगड़ा क्या है ? पार्लियामेंट में भी बिल फूके जाते हैं ? यह चीज़ क्या है ? स्पीकर साहब उसकी बात मेरे दिल में तीर का काम कर गई ? उसने कहा जबान पर झगड़ा है ? ऐसा क्यों है । स्पीकर साहब हम को सबक लेना चाहिये। हिन्दी हो हिन्दुस्तानी हो एक ही बात है । असल बात यह है कि इस देश में अंग्रेज़ी की वकालत करने वाले भाई आज भी मौजूद हैं । यह सही बात है । मेरे भाई एन्थनी साहब भी हैं । इनसे मैं बड़ा प्यार करता हूं । इनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं । इनको भी मैं हिन्दुस्तानी समझता हूं । अगर वह आज हिन्दी में बोलते और हिन्दी की वकालत करते तो इसको बहुत एप्रिशियेट करता । जहां तक बाहर वाले देशों के साथ पत्र व्यवहार का सम्बन्ध है, इन्टरनैशनल यूज़ के लिए अंग्रेज़ी का सम्बन्ध है, अंग्रेज़ी रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है । लेकिन हमारे देश में हमारी अपनी भाषा हो ।

स्पीकर साहब मैं कहना चाहता हूं कि अब यह हमारे बस की बात नहीं है । यह इस सदन के बस की बात नहीं है । पांच सौ या साढ़े सात सौ मैम्बरों के बस की बात नहीं है । अब यह चीज़ पचास करोड़ आदमियों के हाथ में चली गई है । कांग्रेस से भी मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी चाहिये या नहीं इसका सब से पहले आपको हरियाणा सबूत देगा । क्या अंग्रेज़ी चाहिये या हिन्दी इसका सबूत हरियाणा देगा । क्यों हिन्दी की कद्र कम की गई है ? मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में हिन्दी को नम्बर एक जगह दी गई है । क्यों अब यह एमेंडमेंट लाया गया है और क्यों हिन्दी को सैकेंडरी पोज़ीशन में रखा गया है । अंग्रेज़ी के दिन खत्म हो गए हैं । हिन्दुस्तान में हम ने रहना है हिन्दुस्तानियों ने रहना है और उनकी अपनी भाषा यहां चलेगी । देश में आग लगने वाली है और लगने वाली ही नहीं लग गई है । यह आप न समझें कि यह छोटा सा मामला है । यह बड़ा लम्बा चौड़ा मामला है । इसके बड़े दूर रस नतायज होंगे । तीन चार महीनें में हरियाणा में इलैक्शन होंगे । जो एमेंडमेंट हम चाहते हैं उसको कर दो वर्ना कांग्रेस वहां पर साफ हो जाएगी । मैं साफ कहना चाहता हूं इस बात को । यह मेरी आवाज़ नहीं है बल्कि लोगों की आवाज़ है । ट्रैज़री बेंचिज़ से मैं कहना चाहता हूं कि नौकरियों में....

SHRI J. B. KRIPALANI: Would you request the hon. Member to speak a little less loudly so that we can hear? He is speaking so loudly that we cannot hear him.

MR. SPEAKER: That is his way of speaking. On any subject he speaks, he speaks like that.

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी चाहिये । इनको मैं कुछ नहीं जानता हूं ।

आंधी के पहले बगला आता है । अब आंधी आने वाली है । व्हर्लविंड बिफोर दी स्टार्म यह है । यह जो मामला है यह व्हर्लविंड है । मुझे इस बात का खदशा कि कहीं यह कुड़ा स्टौर्म न बन जाए । आपने इसमें कहा है कि अंग्रेजी का जानना जरूरी होगा नौकरियों के लिए और हिन्दी कोई जाने या न जाने । इससे बड़ी जरब, इससे बड़ी चोट हमारी खुद्दारी और हमारी इज्जत और हमारी गैरत पर हो नहीं सकती है । आप लोगों के साथ खिलवाड़ न करें ।

जो ट्रेजरी बेंचिज़ पर भाई बैठे हैं वे यह न समझें कि आज भी लोग अनपढ़ हैं और वे कुछ जानते नहीं हैं । आज आम आदमी बेशक अनपढ़ है लेकिन वह सब बातें जानता और पहचानता है । वह ज्यादा अर्से तक इंतजार नहीं कर सकता है । यह बिल एक तारीखी अहमियत रखता है । इसलिए मैं खास तौर पर ट्रेज़री बेंचिज़ से कहना चाहता हूं कि हरियाणा ने फ्लोर क्रासिंग में नम्बर एक दर्जा हासिल किया है, गवर्नमेंट तोड़ने में भी नम्बर एक दर्जा हासिल किया है । डिसमिस होने में भी पहला दर्जा हासिल किया है, प्रेजीडेंट्स रूल प्राप्त करने में भी सारे हिन्दुस्तान में पहला दर्जा हासिल किया है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा वहां सफाया करने में वह हिन्दुस्तान में फर्स्ट आ जाए । मैं नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस का वहां सफाया हो । मैं चाहता हूं कि वहां भी कांग्रेस पावर में आए । मैं यह भी समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ही है जो हरियाणा और सारे देश की रखवाली कर सकती है । जहां कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है वहां क्या हो रहा है, इसको हम सब जानते हैं ।.

एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । साउथ वाले भाइयों की जो शिकायत है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल जायज शिकायत है । हिन्दी की जो मुखालिफत साउथ वाले करते हैं उससे कहीं ज्यादा हिन्दी वाले भी करते देखे गये हैं । आपने इस रेजोल्यूशन में एक क्लाज ऐसा दिया है जिससे हिन्दी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा । आपने इसमें कहा है कि प्रेफ़ेंशली साउथ इंडियन लैंगुएज । इसको आप उड़ायें । साउथ इंडिया की एक ज़बान नार्थ वालों को जरूर सीखनी चाहिये, पढ़नी चाहिये । यह मैं इसलिए कहता हूं ताकि इनके जो खदशात हैं वे दूर हों । मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि तोते की तरह अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी रटना हम लोग छोड़ दें । साउथ की ज़बान नार्थ वाले सीखें और नार्थ की ज़बान साउथ वाले सीखें । इसी तरह देश का इंटेग्रेशन हो सकता है । हमारी देश में [साउथ की पोजीशन कम नहीं है । मद्रास को कुछ खदशात हैं, महाराष्ट्र को हैं, बंगाल के भाइयों को हैं, डांगे साहब को हैं, उड़ीसा, केरल वालों को भी हैं । अगर हमने जो हमें अब तक पंद्रह बीस साल का समय मिला था इसमें इनके खदशात को दूर करने का प्रयत्न किया होता और हिन्दी की सेवा की होती और इसको हमने सीरियसली लिया होता तो मैं समझता हूं कि इन पंद्रह सालों में सभी प्रेजुडिसिस दूर हम कर सकते थे । लेकिन वह मौका हमने खो दिया है । अब भी पानी सिर से नहीं गुजरा है । अंग्रेजी की सब से ज्यादा जड़ अगर कोई खोद रहे हैं तो हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स वाले खोद रहे हैं और यह जो रेजोल्यूशन है इससे हिन्दी मजबूत नहीं होती है बल्कि इससे उसको एक धक्का ही लगता है । अगर शुरू से ही आपस में हम मिलते बैठते और उनकी बात को हम समझते और अपनी बात को हम उनको समझाते, उनकी भाषा को हम सीखते और अपनी भाषा को उनको सिखाते तो आज देश में यह हालत न होती जो है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब मैं श्री फ्रैंक एन्थनी का भाषण सुन रहा था तो मुझे 1650 के इंग्लैण्ड की याद आ रही थी । उस समय इंग्लैण्ड में दो भाषायें चलती थीं । एक फ्रेंच भाषा और दूसरी लैटिन भाषा ।

जितने भी कानून बनते थे फ्रेंच भाषा में बनते थे और ऊंची से ऊंची शिक्षा की भाषा लैटिन थी। उस समय फ्रेंच और लैटिन को बनाये रखने के लिए, अंग्रेजी को न लाने के लिए वही तर्क दिये जा रहे थे जो आज भारत में अंग्रेजी को बनाये रखने के लिए और भारतीय भाषाओं को न लाने के लिए दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो यह है कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले 1650 में इंग्लैण्ड में थे डाक्टर, वकील, बुद्धिजीवी और ऐसे लोग जिन का फ्रेंच और लैटिन के साथ एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक बार बैरिक "लैंगुएज" कहा था। बड़े प्रयत्नों से मैं एक किताब ढूंढ़ कर लाया हूं, 'ट्रायम्फ्स आफ दी इंग्लिश लैंगुएज'।

इस किताब के लेखक हैं मि० जोन्ज। यह किताब हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कहां से लाए ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह ब्रिटिश हाई कमीशन के पुस्तकालय से प्राप्त की गई है। इसके एक अंश को मैं आप के माध्यम से सदन के सामनें रखना चाहता हूं। 1650 में इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट को एक पेटीशन, एक याचिका, दी गई। उस पैटीशन में क्या कहा गया, यह मैं पढ़ना चाहता हूं :

> "That considering it a Badge of our Slavery to a Norman Conqueror, to have our Laws in the French Tongue, and it is little less than brutish vassalage to be bound to walk by Laws which the people cannot know, that therefore all the Laws and Customs of this Realm be immediately written in our Mother Tongue without any abbreviation of words...."

इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट ने जो निर्णय किया, उस को भी इस सदन को ध्यान में रखना चाहिए। यह 22 नवम्बर, 1650 का फ़ैसला है।

> "The Parliament have thought fit to Declare and Enact, and be it Declared and enacted by this present Parliament, and by the authority of the same, that all the Report Books and the resolutions of Judges, and other Books of the Law of England, shall be translated in the English tongue: And from and after the First of January, 1650, all Report Books of the resolutions of Judges, and all other Books of the Law which shall be Printed, shall be in the English tongue."

इंग्लैंड में भी अंग्रेज़ी को लाने के लिये लड़ाई लड़नी पड़ी थी।

SHRI MANOHARAN: That is a unitary State. We have a federal structure.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उस बात की भी चर्चा करूंगा।

इंग्लैंड में भी यह तर्क दिया गया था कि अगर डाक्टरों की पढ़ाई अंग्रेज़ी में की गई, तो मरीज़ मर जायेंगे अंग्रेज़ी इस योग्य नहीं है कि वह कानून की और शिक्षा की माध्यम बन सके। लेकिन इंग्लैंड की जनता ने अंग्रेज़ी को लाने का स्वाभिमानपूर्ण निर्णय लिया और आज अंग्रेजी को इतना विकसित कर दिया गया है कि हम उस अंग्रेज़ी के मोह में पड़ गए हैं, हम उस अंग्रेज़ी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरी मातृभाषा हिन्दी है।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: Mine is not.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : : कभी-कभी मुझे लगता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी मातृ-भाषा हिन्दी होने के कारण यहां बैठ कर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, जो मैं और किसी भाषा-भाषी को सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिन्दी को केन्द्र की राजभाषा बनाने का निर्णय हिन्दी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनने से पहले हिन्दी को जो ऊंचा स्थान दिया गया, वह गैर-हिन्दी वालों ने दिया था।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

संविधान सभा ने केवल उस पर मुहर लगाई । अगर यह संसद् चाहती है, तो संविधान को बदल दे । अगर संसद् चाहती है कि सभी भारतीय भाषाएं केन्द्र की भाषायें बनें, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उलटे हम उसका स्वागत करेंगे ।

हिन्दी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है । हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है । लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का है कि हिन्दी केन्द्र की भाषा बने । जब संविधान सभा ने यह निर्णय किया, तो संविधान का जो प्रारूप बना था, उसमें अंग्रेज़ी के प्रयोग के लिये केवल पांच साल रखे गये थे । बाद में अहिन्दी-भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर पांच साल की अवधि बढ़ा कर पंद्रह साल की गई ।

श्री जी० भा० कृपालानी : यही बेवकूफी थी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आचार्य जी ठीक कह रहे हैं । यह ग़लती की गई । कुछ लोग इस मत के हैं—और इसमें सच्चाई हो सकती है—कि अगर अंग्रेज़ी जानी थी, तो एक बार में ही चली जानी चाहिये थी । अंग्रेज़ी को धीरे-धीरे हटाना मुश्किल है । लेकिन जनता की कठिनाइयों का विचार करके यह निर्णय किया गया कि पंद्रह साल तक अंग्रेज़ी चले ।

इस निर्णय से हमारे दक्षिण-वासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे । श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपालस्वामी अयंगर और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी इनके लिये पंद्रह साल की अवधि संतोषजनक थी । अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट था, तो अहिन्दी-भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन असंतुष्ट थे, जो अन्तर्राष्ट्रीय अंक नहीं चाहते थे, या मौलाना आज़ाद असंतुष्ट थे, जो हिन्दी नहीं, हिन्दुस्तानी चाहते थे । लेकिन अहिन्दी-भाषा-भाषी का दक्षिण-भाषा-भाषी असंतुष्ट नहीं थे ।

राजेन्द्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के सम्बन्ध में हमने जो निर्णय लिया है, यह बड़ा नाज़ुक निर्णय है; इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा । मगर केन्द्रीय सरकार समझती थी—या केन्द्रीय सरकार में जिन के हाथ में भाषा सम्बन्धी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वे समझते थे—कि चौदह साल और ग्यारह महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जायेगा । जब 1965 आया, तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी अंग्रेज़ी को नहीं हटाया जा सकता है और इसलिए अंग्रेज़ी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाये ।

1963 में एक कानून बना । नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है, वे आश्वासन अगस्त-सितम्बर, 1959 में श्री फ्रैंक एन्थनी के एक ग़ैर-सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधान मंत्री ने दिये थे । मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है । लेकिन सचमुच वे आश्वासन क्या थे, इसको भी समझने का समय आ गया है । नेहरू जी ने कहा था :

> "English will continue as an associate language and I would not take it away till I was asked to take it away by the non-Hindi-speaking areas."

SHRI NAMBIAR: Non-Hindi-speaking areas do not want it to be taken away now. We will tell you when we are ready; don't be in a hurry.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आश्वासन यह था कि हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी चले । आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेज़ी चले । क्या आज हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी चल

रही है ? आज अंग्रेज़ी चल रही है, हिन्दी नहीं चल रही है । और इस विधेयक के बाद हिन्दी और भी नहीं चलेगी ।

राष्ट्रपति की ओर से हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ आदेश जारी किये गये थे, उनमें एक आदेश यह भी था कि हिन्दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की भाषा होगी । 1965 के बाद यह हो जाना चाहिये था । यह क्यों नहीं हुआ ? हिन्दी के साथ और भारतीय भाषायें भी परीक्षा का माध्यम बनें, यह हम चाहते हैं और इस तरह की मांग की गई थी । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1954 में इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया था कि हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषायें भी केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं का माध्यम होनी चाहिये । 1960 में गृह मंत्रालय ने इस तरह का एक निदेश भी जारी किया था, लेकिन भारतीय भाषायें परीक्षा का माध्यम नहीं बनाई गईं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । यह विधेयक अनावश्यक है । यह विधेयक असंवैधानिक है । यह विधेयक अंग्रेज़ी को अनन्त काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है । अगर यह विधेयक स्वीकृत हो जायेगा, तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा । मैंने अभी निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गये थे । फिर यह विधेयक लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहा जाता है कि शास्त्रीजी ने भी कुछ आश्वासन दिये वे आश्वासन क्या थे ? उन आश्वासनों को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी ? 1963 के बाद अंग्रेज़ी का प्रयोग हो रहा है । 1963 के एक्ट में अंग्रेज़ी के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा-रेखा नहीं खींची गई है । अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहें । अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है । यही नेहरू जी के आश्वासन थे । यही शास्त्री जी के आश्वासन थे । फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं इस बिल से डी० एम० के० संतुष्ट नहीं है । इस बिल से हमारे मित्र श्री फ्रैंक ऐन्थानी भी संतुष्ट नहीं हैं । इस बिल से मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट भी सन्तुष्ट नहीं हैं । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. . . . .

17.00 HRS.

SHRI MANOHARAN: Because assurances have been completely diluted, we are not satisfied.

SHRI NAMBIAR: We can take it as a compromise Bill. The Marxist Communists are prepared to take this Bill without any dilution as a compromise Bill. Anything diluted we do not accept.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I do not know. Just now we heard Shri Ramamurti. I do not know whether the Marxist Communists are going to speak in two voices.

अध्यक्ष महोदय, मैं डी० एम० के० की स्थिति समझ सकता हूं । उनका कार्य-क्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है । और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं । जो उनके दिलों में है वही उनके ओठों पर है । मैं उनकी भावनाओं की कद्र भी कर सकता हूं । लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों से शिकायत है । प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का भाषण सुन कर मुझे बड़ी चोट पहुंची है ।

SHRI MANOHARAN: Is it a crime that he spoke in Hindi?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह मेरे बुजुर्ग हैं । वह हिन्दी भाषा में बोले । वह मुझ से उम्र में ज्यादा हैं । मुझ से अनुभव में ज्यादा हैं । उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होना चाहिये । लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिन्दी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

भाषा भाषियों को चोट पहुंचाने वाला था। हमने कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया। हमने कभी तमिल भाषा का विरोध नहीं किया। हमारे डी० एम० के० के मित्रों ने आल इंडिया रेडियो को वानुली कर दिया। सत्यमेवजयते का तमिल रूपांतर कर दिया गया। हमने उसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर अंग्रेज़ी की जगह हिन्दी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिये। मैं तमिल भाषा समझ नहीं सकता लेकिन तमिल से प्रेम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके हृदय में भी अन्य भारतीय भाषाओं के लिए वही प्रेम होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह समझना भी गलत होगा कि इस विधेयक के द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी समान स्तर पर लाई जा रही हैं। या देश में ईमानदारी से दो भाषाएं चलेंगी, बाई-लिंगुअलिज्म चलेगा। सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ना चाहिये और सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज जो देश की स्थिति है उसमें हिन्दी और अंग्रेजी के बीच में ईमानदारी से बाइ-लिंगुअलिज्म होना चाहिये। क्या यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है ? इसमें हिन्दी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, हिन्दी को नीचा स्थान दिया गया है। यह ईमानदारी से दो-भाषाई केन्द्र की नीति नहीं है। यह समझौता नहीं है। यह अंग्रेजी-परस्तों के सामने समर्पण है। हम समझौते के लिये तैयार हैं। हम जानते हैं देश की एकता बड़ी है और भाषा उसका साधन है। हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे देश की एकता खतरे में पड़ जाये। लेकिन देश की एकता को बचाने का यह तरीका नहीं है कि अंग्रेजी के व्यवहार को अनन्त काल तक कायम रखने की व्यवस्था की जाये।

श्री पीलू मोदी : क्या तरीका है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और आचार्य कृपालानी जी ने भी यह बात कही थी कि अंग्रेज़ों ने सेना में हिन्दी चलायी। सेना में हर प्रदेश के लोग हैं, हर एक जगह के लोग हैं लेकिन सेना में हिन्दी चली। 1947 में मध्य भारत में, राजस्थान में और हैदराबाद में भी भारतीय भाषाएं हाईकोर्ट तक चलती थीं। मैं मध्य भारत से आता हूं। मध्य भारत का हाईकोर्ट हिन्दी में फैसले करता था। उर्दू में हैदराबाद में काम चलता था। 1947 के बाद, स्वाधीनता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, वहां अंग्रेजी चालू कर दी गई। हिन्दी को पीछे हटना पड़ा। जब संविधान बना तब भी अंग्रेज़ी को जारी रखने की कोशिश की गई। 1963 में फिर अंग्रज़ी को आगे बढ़ाने का बिल लाया गया। और अब 1967 में फिर से अंग्रेजी के समर्थन में बिल लाया गया और कहा यह जा रहा है, हर बार यह कहा गया कि अब हिन्दी आ जायगी, अब हिन्दी के मार्ग में जो बाधा है वह हट जायेगी, अब हिन्दी पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं जिसने अभी तक कहा है कि हमें अंग्रेज़ी एकदम हटा देनी चाहिये। भारतीय भाषाओं में काम करना चाहिये। लेकिन हम भाषा के सवाल पर समझौते के लिये तैयार हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित किया जाये। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फारमूला निकाला जाये जिससे सभी क्षेत्रों का समाधान हो सके। मैं अपने अहिन्दी-भाषी मित्रों से यह बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम उनके ऊपर हिन्दी लादना नहीं चाहते। लेकिन उन्हें हमारे ऊपर अंग्रेजी लादनी नहीं चाहिये। वह अंग्रेजी में काम करें, और जो हिन्दी में काम करना चाहते हैं उन्हें हिन्दी में काम करने की छूट होनी

चाहिये । यह विधेयक इस बात की व्यवस्था नहीं करता । यह विधेयक हिन्दी और अंग्रेज़ी को बराबरी का दर्जा नहीं देता । यह विधेयक दोनों भाषाओं में काम करने के मार्ग में बाधाएं डालता है । यह अंग्रेज़ी को प्रमुखता देता है । हिन्दी को नीचा स्थान देता है ।

अध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने एक नारा लगाया—खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुकूमत अंग्रेज बहादुर की । अगर यह विधेयक इसी रूप में स्वीकार होगा तो इसका परिणाम क्या होगा । राज्य प्रजा का, राजभाषा होगी हिन्दी मगर चलेगी अंग्रेजी । नाम हिन्दी का, काम अंग्रेजी का । मैं नहीं जानता गृह मंत्रालय इस विधेयक में कौन से संशोधन ले कर आ रहा है । अगर कुछ संशोधन आने वाले हैं तो उनके बारे में सदन को जल्दी विश्वास में लिया जाना चाहिये । अगर संशोधन दोनों भाषाओं में, दोनों दृष्टिकोणों में एक सामंजस्य लाता है तो हम उस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार होंगे । पहली बात तो यह कि हिन्दी में काम करने पर अंग्रेज़ी अनुवाद देना आवश्यक नहीं होना चाहिये । या तो हम सब काम दो भाषाओं में करें, जो काम हिन्दी में करें वह अंग्रेजी में करें और जो अंग्रेज़ी में करें वह हिन्दी में करें और या फिर हम कर्मचारियों को छूट दे दें कि वह चाहे तो अंग्रेज़ी में काम करें, चाहे हिन्दी में । इस बिल में क्या व्यवस्था की गई है ? अगर आप हिन्दी में काम करने लगेंगे तो आप से कहा जायेगा कि अंग्रेजी का अनुवाद लाओं । तो क्या हिन्दी में काम करना सजा होगी ? क्या हिन्दी में काम करने पर दुगुना समय लगाना पड़ेगा ? ...... (**व्यवधान**) ......

SHRI NAMBIAR: Because we do not know Hindi. So, we want a translation. Why can't you tolerate that much. We do not know your blessed Hindi.... (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You could not tolerate even my speaking? I am not yielding. Please sit down.

SHRI NAMBIAR: He wants tolerance from us. Yet, he is against giving even the English translation.... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I would request Shri Nambiar to resume his seat.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: He is not yielding even for interruptions and yet he speakes of tolerance to the non-Hindi-speaking people.... (*Interruptions*)

They would not allow us.... (*Interruption*)

SHRI NAMBIAR: If they do not allow, we have a right to live in India and we live despite their nepotism.

MR. SPEAKER: Order, order.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री नम्बियार नाराज न हों । भारत में उनके रहने के अधिकार को कौन चुनौती दे रहा है । अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है तो मैं भाषण समाप्त कर लूं, उसके बाद वह सवाल पूछें । जब उनके नेता श्री राममूर्ति बोल रहे थे, तब हमने उनको नहीं टोका, किसी ने नहीं टोका ।

SHRI NAMBIAR: I put a very simple question. I did not heckle him. I am not in that habit.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह समय मेरे समय में से न लिया जायें ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि जो हिन्दी नहीं जानते और केन्द्रीय सेवा में अंग्रेज़ी में काम करना चाहते हैं, वे अंग्रेजी में काम करें । लेकिन जो हिन्दी में काम करना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद देना अनिवार्य नहीं होना चाहिये—दोनों भाषाओं की स्थिति बराबर होनी चाहिये । इसका कैसे विरोध किया जा सकता है ? दूसरी बात यह है कि अनुवाद की व्यवस्था

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

कहां की जाय और कैसे की जाय ? अध्यक्ष महोदय, जब से केन्द्र की भाषा हिन्दी बनाने का फैसला किया है, कर्मचारियों को हिन्दी सिखाई जा रही है । लाखों कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी है, बहुत से कर्मचारी हिन्दी पहले से जानते हैं। कुछ अहिन्दी भाषी कर्मचारी भी हिन्दी में आदेश दे रहे हैं, उनके नाम तथा उनके आदेशों की प्रतिलिपियां भी मेरे पास हैं, मैं उसे पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । अब अगर अनुवाद होना है तो चिट्ठी जहाँ ज.ती है, वहाँ आवश्यकता पड़ने पर अनुवाद होना चाहिये । जब चिट्ठी वहाँ जाती है और वहाँ हिन्दी जानने वाले कर्मचारी मौजूद हैं, तो हो सकता है कि अनुवाद की आवश्यकता ही न पड़े । लेकिन अगर कोई अंग्रेजी में काम करते हैं तो उसे काम करने की पूरी छूट होनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संशोधन स्वीकार करने जा रही है कि जहाँ पत्र जाता है गन्तव्य स्थान पर वहां अनुवाद की व्यवस्था की जायें और दोनों भाषाओं में काम करने की छूट हो ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें नौकरी पाने के लिये अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन हिन्दी का नहीं है । हम न हिन्दी की अनिवार्यता चाहते हैं और न अंग्रेजी की अनिवार्यता चाहते हैं । सचमुच में परीक्षाओं का माध्यम सभी भारतीय भाषायें होनी चाहियें और केन्द्र सरकार ने अगर यह व्यवस्था नहीं की है तो भारतीय भाषाओं में आपस में ईर्ष्या और द्वेष पैदा करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, कम से कम परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाने के मामले में देरी नहीं होनी चाहिये । लेकिन जब तक नहीं होता, तो अगर कोई हिन्दी माध्यम से परीक्षा देना चाहता है तो हिन्दी माध्यम से दे और जो अंग्रेजी के माध्यम से देना चाहता है, तो अंग्रेजी के माध्यम से दे-ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये . . . . .

SHRI PILOO MODY: What about English?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं ।

श्री पीलू मोदी : भाई, कोशिश तो कर रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोशिश करोगे तो समझ जाओगे ।

एक बात यह भी होना आवश्यक है कि प्रति वर्ष हिन्दी के मामले में कितनी प्रगति हुई है, इसकी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये । देश को उसके बारे में परिचित कराना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति क्या है ? 1967 में एक नये भारत का हमें सामना करना पड़ रहा है । करोड़ों नौजवान अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर के राष्ट्रीय रंगमंच पर अवतीर्ण हो रहे हैं । करोड़ों लोगों ने मताधिकार पाया है, मताधिकार के महत्व को पहचाना है, औद्योगीकरण के कारण लोग गांवों से नगरों में आ रहे हैं—इन बदली हुई भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर हमें केन्द्र की राजभाषा के सम्बन्ध में निर्णय करना होगा । आज हिन्दी क्षेत्रों के विद्यार्थी बिगड़े हुए हैं—यह समझना गलत होगा कि उन विद्यार्थियों को किसी ने भड़काया है, वे विद्यार्थी इसलिये बिगड़े हुए हैं कि उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है । वे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन प्रदेशों में अंग्रेजी वैकल्पिक भाषा कर दी गई है । अब अगर केन्द्र की परीक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य होगी तो केन्द्र की परीक्षाओं में उनके लिए सफलता प्राप्त करना असम्भव होगा । उन के लिये यह सवाल अपने भविष्य का सवाल बन गया है । उनकी भावनाओं के साथ सदन को अपने को एक रूप कर के देखना चाहिये ।

मैं अहिन्दी प्रदेशों के बारे में भी कहना चाहता हूं —अगर मद्रास में तमिल चलेगी, अगर बम्बई में मराठी में राजकाज होगा, अगर कलकत्ते में बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा-दीक्षा और शासन व्यवहार होगा तो

क्या फिर नई दिल्ली में त्रिशंकु की तरह से अंग्रेजी लटकती रहेगी । अगर भारतीय भाषायें आगे बढ़ेंगी, अगर भारतीय भाषायें शिक्षा का माध्यम बनेंगी, अगर भारतीय भाषाओं में राजकाज चलेगा, तो फिर नई दिल्ली में हमें सम्पर्क के लिये कोई न कोई भाषा को निश्चित करना होगा । उस भाषा को लादने का सवाल नहीं है, वह भाषा अपने आप विकसित हो रही है, वह भाषा अपने आप जगह लेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से निवेदन किया था कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है । अभी मेरे मित्र श्री मनोहरन कह रहे थे कि हमारा फैडरेशन है, यूनीटरी स्टेट नहीं है— में उनसे इस बात में सहमत हूं । यहां हमारा संघात्मक शासन है, एकात्मक शासन नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में केन्द्र और राज्यों के अधिकार अलग कर दिये गये हैं । कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें केन्द्र और राज्य मिल कर कानून बना सकते हैं । लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें केन्द्र की सत्ता सर्वोपरि है और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य का अधिकार अन्तिम है । राजभाषा का मामला केन्द्र की परिधि में आता है । राजभाषा केन्द्र को ही निर्धारित करनी है और अगर इस निर्णय में प्रदेशों को भी हिस्सेदार बनाना है तो संविधान के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए यह नहीं हो सकता ।

मुझे याद है जब पं० नेहरू श्री फ्रेंक एन्थनी के भाषण के बाद बोल रहे थे, तो श्री फ्रेंक एन्थनी ने उनको टोका और उनसे पूछा कि क्या इस विधेयक में अहिन्दी भाषियों के लिये कोई आश्वासन है ? श्री फ्रेंक एन्थनी ने कहा कि उनके लिये कोई गारन्टी नहीं है— तो नेहरू जी नाराज हो गये ......

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने कहा कि बैठ जाओ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नेहरू जी नाराज होने के बाद भी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे । मैं आपको 24 अप्रैल, 1963 की संसद् की कार्यवाही का एक अंश सुनाना चाहता हूं—यह कार्यवाही अंग्रेजी में है, इस लिये मुझे क्षमा करेंगे —

> *Shri Frank Anthony*: May I know —I am not questioning the motives of the Prime Minister—how the Bill reflects his assurance? How are the non-Hindi-speaking people going to be consulted?
>
> *Shri Jawaharlal Nehru*: I do not see how this Bill was going to say anything about the consultation of non-Hindi-speaking people
>
> *Shri Frank Anthony*: Why not?
>
> *Shri Jawaharlal Nehru*: I say, according to my thinking, it is quite absurd and unconstitutional".

संसद् केन्द्र की राजभाषा के बारे में निर्णय करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में बोलने वालों और भाषाओं का ध्यान रखे, मगर यह संसद् यह निर्णय राज्यों पर नहीं छोड़ सकती ।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर यह संसद् चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है, यह संसद् चाहे तो किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, यह संसद् चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है, इसके लिये संसद् को राज्य की विधान सभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन राय मानना जरूरी नहीं है । मगर इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि अगर एक राज्य भी कहेगा कि केन्द्र में अंग्रेजी चलनी चाहिये तो फिर केन्द्र में अंग्रेजी चलेगी । यह संसद् अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकती । केन्द्र की राजभाषा के मामले में एक राज्य के हाथ में वीटो नहीं दी जा सकती ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं—जहां तक लोक सभा और राज्य सभा के अधिकारों का प्रश्न है, इस विधेयक के द्वारा लोक-सभा

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के अधिकारों को कम किया गया है। हम राजभाषा के बारे में कोई भी फैसला करें, हम बहुमत से कर सकते हैं, वह फैसला राज्य सभा में जायेगा पुष्टि के लिये और राज्य सभा अगर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, उसके बाद संविधान में व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक होगी, जिसमें सिम्पल मैजारिटी से अन्तिम निर्णय किया जायेगा। मगर इस विधेयक में कहा गया है कि सब राज्यों की विधान सभाओं से पूछो, और फिर राज्य सभा से भी प्रस्ताव पास कराओ। मैं नहीं समझता कि सदन इस स्थिति को स्वीकार कर सकता है। यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं है; यह केन्द्र की शक्ति का और सदन की सर्वोपरिता का भी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस स्थिति के बारे में विचार करे।

हमारे मद्रास के मित्र चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैसूर, आन्ध्र और केरल में हिन्दी का विरोध नहीं है। अभी हाल ही में श्री निजलिंगप्पा ने एक भाषण देते हुए कहा कि उनके यहां हिन्दी पढ़ाई जा रही है।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: Who told you? I come from that State.

SHRI NAMBIAR: Are we to believe the Member from Kerala or the Member from U.P.? About Kerala, I think, Mr. Sreekantan Nair can speak better than the hon. Member.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: केरल, आन्ध्र और मैसूर में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। केवल मद्रास ही ऐसा प्रदेश है, जिसने भाषा के बारे में सार्वदेशिक निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। हमारे तामिलनाड के मित्र कहते हैं कि वे हिन्दी का प्रचार स्वेच्छा से करेंगे। मैं उनकी बात से सहमत हूं। जब कोई चीज लादी जाती है, तो उसका विरोध होता है। लेकिन संविधान सभा का निर्णय "लादना" नहीं है। संविधान द्वारा स्वीकृत कानूनों का पालन कराना "लादना" नहीं है। जो निर्णय हम करें, वह निर्णय अगर हम मानें, उस पर चलें, तो क्या उसको "लादना" कहा जायेगा?

मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि वहां पर हिन्दी का प्रचार फ़ोर-जबर्दस्ती से नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक पत्र आया है, जो बड़ी करुण कथा कहता है। यह पत्र है श्री एम० के० रामकृष्णन्, हिन्दी प्रचारक, टैगोर मेमोरियल हिन्दी विद्यालय, मदुराई का।

SHRI MANOHARAN: I can produce a lot of letters like this.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मदुराई में हिन्दी के दस विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से संलग्न हैं। ये विद्यालय हिन्दी पढ़ा रहे हैं और हिन्दी की परीक्षायें ले रहे हैं। मगर इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले अध्यापक आज कल बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को एक तार भेजा है। मैं उस तार का एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

> "Our institution is spreading Hindi for the last 20 years, purely on a voluntary basis. We are preparing them for the various examinations conducted by the Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha, Madras. At present there are about 100 students in our institution, both boys and girls.
>
> "We hope you are aware that the Madras State Anti-Hindi Council suddenly gave an intimation that Hindi Prachar Sabha must be closed down and no theatre should screen Hindi film. Later, on the advice of our Chief Minister, Thiru C. N. Annadurai, they withdrew that."

SHRI SEZHIYAN: Mr. Annadurai is very tolerant.

Is there one Tamil Prachar Sabha in U.P.? Is there one Malayalam Prachar Sabha in M.P.? You do not worry about any other language?

MR. SPEAKER : Please conclude now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस का एक और अंश पढ़ना चाहता हूं :

"But now at Madurai, some students have formed as members into an association and on 15-10-1967 they went in a group and forcibly got letters from some Theatre proprietors promising they would not screen any Hindi film."

पत्र में आगे लिखा गया है कि स्वेच्छा से वे हिन्दी-प्रचार का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस में बाधा डाली जा रही है।

SHRI ANBAZHAGAN : It is also a voluntary objection.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि अगर हम सचमुच केन्द्र में हिन्दी को लाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का विधेयक पास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के विधेयक से हिन्दी पीछे जायेगी और अंग्रेजी का प्रभुत्व जारी रहेगा। इसलिए मैं मांग करूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये।

प्रधान मंत्री कहती हैं कि यह विधेयक दोनों दृष्टिकोणों में एक समझौता है, एक समन्वय है। अभी मैं ने यह कहा है कि यह समझौता नहीं है, यह अंग्रेजी के सामने समर्पण है, यह अंग्रेजी को अनन्त काल तक बनाए रखने का प्रयत्न है। हम इस प्रयत्न में भागीदार नहीं बनेंगे। हम समझौते के लिए तैयार हैं। हम अंग्रेजी को अविलम्ब हटाने की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम हिन्दी और अंग्रेजी के लिए बराबरी चाहते हैं। हम हिन्दी और अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों के लिए काम करने की पूरी छूट चाहते हैं। जहां चिट्ठी जाये, अनुवाद वहां पर होना चाहिए। अगर केन्द्रीय मंत्रालयों के एक दूसरे के साथ और मंत्रालयों के भीतर आपस में हिन्दी में काम करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा, तो हम अपने विरोध को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम समझौते के लिए तैयार हैं। बाकी लोग इस के लिए तैयार हैं या नहीं, यह वे अपने आचरण से बतायें, इस विधेयक में संशोधन ला कर बतायें।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं। मैं केवल कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहती हूं।

धर्म के बाद भाषा ही एक ऐसी वस्तु है, जो वफ़ादारी और जोश की भावनायें पैदा करती है। हमने इस सदन में भी इतना जोश देखा और सदन के बाहर भी काफ़ी ऐसे कार्य देखे, जिन को शायद जोश कह सकते हैं। जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है, हो सकता है कि विद्यार्थी अपने रोजगार के बारे में परेशान हैं।

लकिन सवाल यह है कि भाषा किस लिए होती है। अनेक सदस्यों ने यहां कहा है—कल मैं ने कई भाषण सुने— कि एक दूसरे से बोल-चाल के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, अपना रोज का काम करने के लिए, अपनी जामकारी को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नजदीक लाने के लिए—

श्री जी० भा० कृपालानी : लड़ने के लिए भी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : .....भाषा होती है और ये सब भाषा के कार्य हैं। विचारों के भंडार में बराबर का हिस्सा लोगों को मिले, इस के लिए भी भाषा है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? भाषा एक दूसरे के बीच में एक दीवार हो रही है और, जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा है, वह एक दूसरे के बीच में लड़ाई का माध्यम बन गई है और यह दुख की बात है। भाषा विज्ञान और विचारों का समन्वय करती है— या उसे ऐसा करना चाहिए— और इस लिए भाषा से एकता आनी चाहिए। ये दीवारें जो खड़ी हो गई हैं, इन को कैसे तोड़ें, यह प्रश्न हमारे सामने है।

श्री पीलू मोदी : मारेटोरियम से ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मारेटोरियम से दीवारें टूटेंगी या और बढ़ेंगी, यह एक विचार-जनक बात है । मैं मानती हूं कि इस समय जो बाहर हो रहा है, वह इस से थमेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेगा, जो काम हम हाथ में लेते हैं, उस को उसी समय पूरा करना अच्छा होता है । लम्बा चलाने से उस का कभी उल्टा असर हो सकता है ।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं और वह यह है कि किस देश में भाषा राजनीति से बनी जो अंग्रजी आज एक बड़ी भाषा है, और दुनिया के बहुत से देशों में फैल रही है और ऊंचे स्तर पर पहुंची है । ह्वाइट हाल में जो मिसलों की भाषा होती थी, क्या उनके कारण वह भाषा बनी है ? या इंग्लिस्तान के कवियों ने, लेखकों ने, नाटक लिखने वालों ने श्रौर व्यापारियों ने भी जो दुनिया के कोने कोने में घूमे, उन्होंने बढ़ाया है ? हम यह न समझें कि सरकारी काम से ही केवल भाषा बढ़ती है या बनती है श्रौर वह न होगा तो वह भाषा खत्म हो जायगी । हमारे देश में हमारी जो राजभाषाएं थीं, वह दबाई गईं । इसलिए यह स्वाभाविक था कि श्राजादी के श्रान्दोलन के जमाने में श्रौर हम श्राजाद हुए उसके बाद भी लोगों की भावनाएं उन के बारे में एक विशेष तरह की हों श्रौर उन को बढ़ाने की इच्छा हो । खाली भावना का प्रश्न नहीं है, मैं मानती हूं कि देश के लिए यह जरूरी भी है । हमारे मित्र श्री मोदी ने कहा कि गरीबी को बढ़ावा दिया जा रहा है । तो बढ़ावे का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनको गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण मौके नहीं मिले, न शिक्षा में, न नौकरी में, न बहुत सी श्रौर चीजों में जो हम थोड़े से लोगों को प्राप्त हुईं । मैं मानती हूं कि उन लोगों की शिक्षा केवल मातृभाषा में हो सकती है । श्रौर इसलिए यह श्रावश्यक है कि सब राज्यों में व शिक्षा मातृभाषा में हो श्रौर जो तबके श्रभी तक दबे थे, जिनको श्रवसर नहीं मिल रहे थे उनको हम वसर दें शिक्षा प्राप्त करने का, कुछ सूरज की रोशनी में भाग लेने का श्रौर देश का जो विकास होता है उस से भी कुछ लाभ उठाने का । लेकिन फिर हिन्दी बीच में कैसे श्राई ? कुछ देशों में दो भाषाएं हैं, जैसे कि बेल्जियम में । स्विटज़रलैंड श्रौर यूगोस्लाविया में तीन या चार भाषाएं हैं । हमारे देश में पन्द्रह भाषाएं हैं । श्रौर हमारा देश उतना ही बड़ा भी है दूसरे देशों से, इसलिए यह कोई श्राश्चर्यजनक बात नहीं है कि इतनी भाषाएं हों । श्रब हमारी पूरी कोशिश है कि यह सब भाषाएं श्रागे बढ़ें । इनमें वहां की जनता शिक्षा प्राप्त करे । श्रौर राज्य का काम भी इन भाषाश्रों में हो । मैं मानती हूं इस बात पर किसी के दो मत नहीं हैं । लेकिन केन्द्र का काम १५ भाषाश्रों में नहीं चल सकता चाहे हमें कितनी ही प्रिय वह भाषाएं हों, हम हर एक भाषा का श्रादर करें, लेकिन तब भी इतनी भाषाश्रों में काम संभव नहीं है । इसलिए यह सोचा गया कि एक भाषा, राष्ट्रीय कड़ी बने श्रौर वह भाषा हिन्दी चुनी गई । श्रब मैं पूरी तरह से जानती हूं कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उन के लिए कठिनाई जरूर पैदा होती है । कुछ हमारे दक्षिण के दोस्तों ने कहा कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो विकसित नहीं है । जब तक लोग इसे बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, इस को बढ़ायेंगे नहीं, तब तक इसका विस्तार कैसे होगा । इसीलिए हम उन से कह भी रहे हैं कि इस में भी वह हाथ बटायें । भाषा के उपयोग से ही भाषा बढ़ सकती है । लेकिन मैं श्रपने दूसरे भाइयों से यह भी कहूंगी कि उपयोग खाली सरकारी दफ्तरों में ही नहीं, उपयोग बाहर होना चाहिए । उसमें श्रधिक लोग लिखें, उस में किताबों का श्रनुवाद हो । हम बाकी दुनिया से कुछ श्रलग क्यों हैं श्रौर श्राजादी के पहले क्यों बिलकुल थे ? इसलिए कि बाकी, दुनिया में क्या हो रहा था, क्या नये नये विचार चाहे विज्ञान के, चाहे टेक्नालाजीके आ रहे थे, उस से हम बिलकुल वंचित थे । जब तक हम इस तरह से कटे रहेंगे तब तक हम श्रपनी भाषा को कितना ही बढ़ायें, श्रागे नहीं बढ़ सकते ।

हमारी भाषाएं बढ़ें तो अच्छा है और आवश्यक भी है उनका बढ़ना लेकिन एक अन्त-र्राष्ट्रीय कड़ी का भी होना मैं आवश्यक मानती हूं और अगर हम आज अंग्रेजी को चाहते हैं तो यह बिलकुल नहीं चाहते कि वह राष्ट्रभाषा हो, वह हिन्दी की जगह ले या वह तमिल, बंगला या किसी दूसरे प्रदेश की भाषा की जगह ले। यह नहीं हो सकता और न कोई इसको चाहता है। लेकिन हम यह जरूर सोचते हैं कि आजकल की दुनिया में कोई बाहर की भाषा न जानना हम को कमजोर करेगा और हम को पिछड़ा रखेगा। आज दूसरे जितने देश हैं जिन की अपनी भाषाएं हैं, वहां भी स्कूल में सभी देशों में एक बाहर की भाषा सीखना आवश्यक होता है। वह भाषा चुनने की इजाजत होती है, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो या कोई और हो सकती है। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं कि आजकल लोग चाहे वह रूस के हों, चाहे दूसरे देशों के हों, वह अंगेजी ज्यादा चुन रहे हैं। अब, हमें एक लाभ है, कि अंग्रेजी का ज्ञान हमें थोड़ा बहुत पहले से ही है। अंग्रेजी सिखाने के साधन थोड़े बहुत हैं। यह मैं मानती हूं कि पहले जितने थे उन से कम हो गए हैं। अंग्रेजी का स्तर बहुत नीचा हो गया है और कभी कभी जो अंग्रेजी बोली जाती है वह एक ढंग से हमारी ही भाषा है। वह शायद किसी दूसरे देश में समझने में न आये। लेकिन यह यह सब होते हुये भी एक कड़ी है। मुझे एक दो कहानी याद हैं। है तो पुराने जमाने की। एक लड़का अंग्रेजी पढ़ रहा था। उस का एक अंग्रेजी का नया मास्टर विलायत से आया था। तो उन्होंने पूछा :

'Shyam, what is your mother-tongue?' He replied 'Hindi, Sir'. Then the master remarked, 'It has some words which sound like English'.

वह लड़का अंग्रेजी ही बोल रहा था, हिन्दी नहीं बोल रहा था। लेकिन उस को सुन कर मास्टर को लगा कि वह दूसरी भाषा बोल रहा था। जिसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के थे। यह हमारे देश में होता है। लेकिन वह हमें एक बुनियाद देता है जिससे हम उस भाषा को सीख सकते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं। मगर सम्मेलन की ही बात नहीं है क्योंकि वहां अनुवाद भी हो सकता है। लेकिन जो आपस में बैठ कर बातचीत होती है आजकल के जमाने में जितना काम मिलने पर होता है एक दूसरे से उतना सम्मेलनों में नहीं होता। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ऐसी एक कड़ी हो। जैसे हम राष्ट्र की कड़ी चाहते हैं वैसे एक अन्तर्राष्ट्रीय कड़ी हो। इसके यह माने नहीं हैं कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी हैं। क्योंकि उन से भी रिश्ते रखने हैं।

लेकिन इसमें यह जो रूप इसने लिया है वह एक दूसरी ही चीज है। इस समय जो प्रश्न है जो कई माननीय सदस्यों ने हमारे सामने रखा है वह देश की एकता है। किसी न किसी कारण, गलत हो सकता है या ठीक हो सकता है, दक्षिण के लोगों को यह ख्याल हो गया कि उनकी नौकरियों को खतरा है और इससे आन्दोलन हुए। आज अभी वाजपेयी जी ने कहा कि यही भ्रम उत्तर के विद्यार्थियों को हो गया है। अब कोई रास्ता निकालना है जिससे कि यह भ्रम उनके मन से निकल जाए। जब मैं यह कह रही हूं कि सब मिल कर इस पर बात करें तो यही कारण है कि हम रास्ता निकालें।

अब असलियत क्या है? असलियत यह है कि अंग्रेजी चल रही थी, अच्छी लगे चाहे नहीं, अंग्रेजी चल रही थी। हमने जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा तो उससे स्थिति बदली। अब जो हम यह विधेयक ला रहे हैं इससे हिन्दी राष्ट्रभाषा रही। हिन्दी की जगह न कम हुई न उसका महत्व कम हुआ बल्कि साथ-साथ हम कह रहे हैं कि हिन्दी को सिखानें के लिए और जोरों के साथ चेष्टा होगी और यह भी आपने उसमें देखा होगा कि हर साल उसकी रपट सदन के सामने आयेगी, और सदन देख सकेगा कि काम किस तरह से चला, अच्छी तरह से चला या नहीं क्या कमियां हैं? तो वह पूरे तौर से उसको देखा जा सकेगा। जो लोग अहिन्दी भाषी प्रान्त के हैं उनके सामने तो यह समस्या रही कि हिन्दी का सीखना जब वह

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

रहा है, हिन्दी में जब काम बढ़ेगा तो वह उस नये नक्शे में कैसे बैठेंगे ? यह सवाल है और इसलिए रास्ता ढूंढा गया कि उनके लिए अनुवाद हो और जो लोग अभी नहीं जानते हैं हिन्दी उनके लिए सिखाने का भी प्रबंध हो और उनको कोई कठिनाई न महसूस हो । यह एक रास्ता ढूंढा गया । अब ऐसा एक बीच का रास्ता जब ढूंढते हैं तो आप सभी को मालूम है कि उसके सभी लोग विरोध में हो जाते हैं क्योंकि किसी का भी पूरा रास्ता वह नहीं होता । कुछ बातें उसकी लीं कुछ बात किसी और की ली मनानें की कोशिश में ।

और सभी सोचते हैं कि यह चीज ठीक नहीं है । अब यह लाचारी है क्योंकि किसी की भी इस समय पूरी बात मानी नहीं जा सकती । एक यही हो सकता है कि कोई रास्ता ढूंढें जिसमें थोड़ी-थोड़ी बात सब की आ जाय । इस बात को फिर से दोहराऊंगी जिसे मैं पहले भी अनेक बार कह चुकी हूं कि हमें देश की एकता का ख्याल रखना है । चाहे एक प्रान्त हो या सात प्रान्त हों इस समय सात प्रान्त हैं जो चाहते हैं कि उन को हिन्दी सीखने का मौका मिले और जल्दबाजी न की जाये । थोपनें का शब्द मेरा नहीं है, उनका शब्द है—हिन्दी उन पर थोपी न जाय–सात प्रदेश हैं जो ऐसा चाहते हैं, लेकिन सात न भी हों. . . .

एक माननीय सदस्य : सात नहीं हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, सात हैं । मेरी सब प्रान्तों के लोगों से बातें हुई हैं । चाहे जितने भी हों, अगर एक भी है, तब भी हम थोपना नहीं चाहते । उनको भी उतना ही हक है, जितना सब को है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके पास बहुमत होता है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ती है । जो ज्यादा बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है ताकि दूसरों को यह डर न लगे कि हमको दबाया जा रहा है । हमें खुशी है कि हमारे दक्षिण के भाई भी कहते हैं कि वे हिन्दी सीखेंगे और उन को मौका दिया जाय ।

अब मैं मानती हूं वे अपने पहले मत से कुछ थोड़ा-बहुत आगे बढ़े हैं और हिन्दी के लिए यह बहुत बड़ी बात है । मैं मानती हूं कि इन दिनों हिन्दी की कुछ हार भी हुई और किस चीज में हार हुई है ? कुछ लोगों नें सोचा कि यह मसला सड़क पर तय हो सकता है, सदन में तय करने का नहीं है । वाजपेयी जी ने कहा कि बच्चों को कोई उकसाता नहीं है । हो सकता है कि कोई न उकसाता हो, लेकिन मैं याद दिलाऊं कि कुछ राजनीतिक दलों के मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया है । . . . .

श्री रवि राय : अच्छा किया है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अच्छा किया है या बुरा—मैं अपनें विचार यहां प्रकट कर रही हूं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । मैं मानती हूं कि यह देश के लिये बहुत खतरनाक है कि कोई भी विषय इस तरह से सड़कों पर लाया जाय । अगर वह सोचते हैं कि जो दक्षिण के लोग यहां आते हैं, उनकी मोटरों को तोड़ा जाय—जैसा कि कुछ भाइयों ने किया, उनको मारा गया—पता नहीं मारा गया या नहीं . . .

श्री राम सेवक यादव : इस चीज का पर्दा-फाश करना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : लेकिन अगर यह बातें होती हैं—मारे गये या नहीं, यह सच है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन लोगों के दिलों में क्या हिन्दी पढ़ने की रुचि बढ़ेगी—यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं ? वह इस तरह कभी हिन्दी सीखना नहीं चाहेंगे ।

आपने कहा कि इन लोगों को नहीं मारा गया, लेकिन हमको मालूम है—हमारी एक बहिन हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनकी 10 वर्षीय लड़की पर हमला करने की कोशिश की गई, उनकी मोटर को तोड़ा गया और वह कैसी बहिन थीं ? जो हिन्दी चाहती हैं, हिन्दी के बारे में हमेशा बोलती रहती हैं, उन पर हमला हुआ और उनके पति से कहा गया

कि आप उनकी तरफ से आश्वासन दें कि वह इस बिल ...

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे लड़के से कहा गया, आप मेरी बात क्यों नहीं कहतीं। जिन्होंने हमको वोट दिया है, उनको डिमांस्ट्रेशन करने का हक है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : डिमांस्ट्रेशन करना एक बात होती है और घर जलाना, बस जलाना, मोटरें जलाना, लोगों को मारना—यह दूसरी बात होती है।.....

श्री कंवर लाल गुप्ता : आप दफा 144 लगाये रखिये, डिमांस्ट्रेशन न करने दीजिये, जो आये उसको पकड़ कर बैठा लीजिये ...

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं बैठ नहीं रही हूं, आप मेहरबानी कर के शान्ति से बैठ जाइये।

श्री कंवर लाल गुप्त : जवाब दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जवाब दे रही हूं। क्योंकि मैं देख रही हूं कि दूसरों के मन में हिन्दी भावना इससे बढ़ नहीं रही है, बल्कि घट रही है। चूंकि मेरा एक ही ध्येय है—मेरा यह ध्येय नहीं है कि डिमांस्ट्रेशन हो या न हो—मेरा ध्येय इस समय यह है कि एक नीति हमने ली है जिससे एक कड़ी बने ऐसे कुछ दल हैं, इस देश में, हमारे इस सदन में भी हैं जो कड़ी नहीं चाहते हैं, जो कहते हैं कि सब भाषाओं को चलने दें—मैं इसको खतरनाक मानती हूं। यह मैं बहुत सफाई से कहूं कि अगर ऐसा होगा, तो देश के टुकड़े हो जायेंगे, देश की एकता, नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि हम हिन्दी को एक कड़ी बनाना चाहते हैं और यही मुख्य, कारण है कि मैं चाहती हूं कि हिन्दी बढ़े। इसीलिये मुझे दुख होता है जब कोई भी ऐसा कदम उठाये, कोई भी ऐसा कार्य करे, जिससे हिन्दी न बढ़े, यानी कड़ी रहने की भावना लोगों के दिलों से चली जाय—यही इस समय हमारे सामने कठिनाई है ...

श्री राम सेवक यादव : चाह और अमल को एक साथ मिलाइए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे बहुत खुशी है कि जनसंघ के नेता ने भी हिंसा के बारे में चर्चा की है और कहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिये। इसकी मुझे खुशी है कि जयप्रकाश नारायण जैसे नेता ने भी इस पर एक वक्तव्य दिया है, और विनोबा भावे जी ने भी। उसके परिणाम स्वरूप उन के घर पर भी एक जलूस चला, पता नहीं उनसे बातचीत करने या क्या करने। मैं एक और आश्चर्यजनक बात आपको बतलाऊं—यह मेरे संग नहीं हुई है, सुनी हुई बात करती हूं......

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सुनी हुई बात मत करिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बहुत से हमारे विद्यार्थी भाई जो साइन-बोर्ड वगैरह पोत रहे हैं जो अंग्रेजी के विरोध में बोल रहे हैं—वे स्वयं यह प्रचार अंग्रेजी में ही कर रहे हैं, हिन्दी में नहीं कर रहे हैं। हमारे एक मंत्री ने मुझ से कहा कि जब विद्यार्थी उन से अंग्रेजी में बोले, तो वे बराबर हिन्दी में जवाब देते गये, लेकिन वे अंग्रेजी में ही बोलते गये ....

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : गुस्से में हिन्दी वाले अंग्रेजी बोलते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक बात हम और चाहते हैं—बाहर से लोग हमारे देश में आयें। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट हमारे देश में आयें, लेकिन जब इस तरह के आन्दोलन हों, चाहे अंग्रेजी के साइनबोर्डों को मिटा दें—तो इस से हमारे देश की कोई मदद होने वाली नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है कि आप सब ने जो जोश यहां प्रकट किया है, अपना दिल हल्का किया है, अब आप सब अगर देश की एकता की तरफ सोचते हुये इस विधेयक को मान लें और फिर मिल कर हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग हिन्दी को वाकई सही मायनों में बढ़ा सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मिलजुल कर बात करिये। आप लोगों से बात कर के, फिर कोई चीज सामने रखिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने भी बात की है, गृह मंत्री जी ने भी की है, बहुत से लोगों ने की है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह बिल पास हो जाता है तो जो दक्षिण और दूसरे अहिन्दी भाषी प्रान्तों के लोग हैं, उन के मन में यह शंका निकल जायगी। अभी हम उन से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि कितने सालों से तुम लोग हम को आश्वासन दिला रहे हो, अब किसी तरह से न टाला जाय। हम जब बात करते हैं— तो वे यही बात कहते हैं। इसलिये पहले यह जो भ्रम उन के दिल में है, उस को हटा देना है और मुझे विश्वास है कि उस के बाद अगर हम सब साथ बैठते हैं तो उसका रास्ता निकाल सकते हैं। इस समय नारे लगाने का सवाल नहीं है, सवाल ठोस कदम लेने का है, जिससे हमारे देश के लोग हिन्दी सीखें और उस को हम एक कड़ी बना सकें। यही थोड़ी सी बातें मैं आपके सामनें रखना चाहती थी।

MR. SPEAKER: Dr. Maitreyee Basu.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, on a point of clarification.

MR. SPEAKER: No please. I have called Dr. Maitreyee Basu.

श्री समर गुह : मैं आपसे यह शिकायत करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रभाषा लफ्ज का इस्तेमाल किया है····

MR. SPEAKER: Dr. Maitreyee Basu. I do not allow the hon Member, Shri Samar Guha to interrupt. Those who are quitely sitting should not be prevented; they must get a chance.

SHRI SAMAR GUHA: On a point of order.

MR. SPEAKER: No. I do not want this to happen. This happens every time. Every time you get up, whenever you get up, I must allow you! Others are waiting to speak.

SHRI SAMAR GUHA: The hon. Prime Minister— ****

MR. SPEAKER: No, please. I am sorry. Nothing will be taken down. Whenever you rise, I must allow you. This has become a practice. Nothing will be taken down. I have called Dr. Maitreyee Basu.

17.50 Hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

DR. MAITREYEE BASU (Darjeeling): Sir, I would like to point out a few points—not many—and I would not tire the House. First of all, I would like to point out that this is an official language Bill. This has nothing to do with national language or link language. But these terms—official language, national language and link language are interchanged. This must be made clear to the people that this is an official language Bill.

Now the controversy is between north and south. Some people belong to the south and some to the north. I do not know where I belong to. Are we north or south?

AN. HON. MEMBER: East.

DR. MAITREYEE BASU: But it has not been suggested that there is an East India. Are we bystanders and onlookers? What are we? It is not Bengal alone; there are some other States who will speak for themselves. But I can say on behalf of Bengal that we do not know whether we are north or south. South is confined to four States. I do not know how many States north is confined to. But we seem to hang in the air. This is making our position very difficult. South can give expression to their feelings very vociferously as they are doing here. So does the north. We are keeping more or less silent. I was telling my southern friends that we are appreciating that they are fighting the battle on our behalf.

AN HON. MEMBER: You join with us.

DR. MAITREYEE BASU: I have joined with you in spirit. When I spoke on the Kothari Commission report, I did say, why consider English to be a foreign language? English is not spoken nowadays only by the English people, but by

***Not recorded.

the Australians, the Canadians, etc. In a way, Canadians are also bilingual—French and English. But English is their tongue. South Africans also speak English. The people in Mauritius, Trinidad, British Guinea, all speak English. Scotch people will never call themselves English, but they speak English. Suddenly there was a wave of Welsh nationalism. Once when I went to London, some people at the next table were speaking in some tongue which was not understood by me. I thought it sounded like German, but I wondered whether I had forgotten my German to that extent that I could not understand even a single sentence. Then I asked the waiter and he told me that they were speaking in Welsh. So, language difficulties are there in every country. Why should we think that it is a special thing in our country? We should be able to solve this problem. As I said when I spoke on the Kothari Commission Report, this point has been made by the Prime Minister also just now, barring a few including the Prime Minister. whose language when they speak English will be understood as English in England, in the case of the rest of us, when we speak in England quite a number of people do not understand us. Our intonation is different. Not only intonation but our phrases are also different.

AN HON. MEMBER : Pronunciation also.

DR. MAITREYEE BASU : Pronunciation we can at least learn, but intonation is very difficult to learn. What is language but a vehicle of thought. Sometime ago, this afternoon, one hon. Member was speaking in fluent English. He said: "When Tilak was about to give up his body". Is this English? It is a literal translation of *deha tyag*. This is not English. In very vulgar English people would say: "He has kicked the bucket". But English expressions are quite different. Once I was in a restaurant here in Delhi. Some young man came in and they ordered something. They said that they wanted slice and mutton curry. I was wondering what was slice. Then I was told that they wanted slices of bread and mutton curry. This is a language which is not understood by Englishmen. I will give another example. We call something by the side of the road 'foot-path'. Foot-path as understood by Englishmen is a path which is not made up, which is a *kutcha* road through which a person may go along on foot. For us it is the pavement by the side of the road on which pedestrians walk.

We have a genius for assimilation. When first the Greek sculptors came and began to make sculptures in the Greek style, quickly Buddhist artists copied it and assimilated it. That is how this great tradition of Gracco-Buddhist sculpture developed in our country. There are many instances of foreign culture, foreign language and foreign things being absorbed by India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I request the hon. Member to resume her speech tomorrow.

DR. MAITREYEE BASU : But please do not forget!

MR. DEPUTY-SPEAKER : She may continue her speech tomorrow. The House now stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

18 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 13, 1967/*Agrahayana* 22, 1889 (*Saka*).

L96LSS/67—272—29-2-68—GIPF.